January 2023

अरफ़ात किरण

जम्हूरी हुकूमत का फ़र्ज़–ए–मन्सबी

"एक आज़ाद जम्हूरी हुकूमत जिसकी बुनियाद ख़ालिस हुब्बुल वतनी, रज़ाकाराना जज़्बा–ए–ख़िदमत और उस मुश्तरका आज़ादी पर पड़ी हो जिसमें मुल्क के तमाम शहरी और अक्सरियत व अक़्लियत के अफ़राद दोश–ब–दोश शरीक हों, सबसे अज़ीम व मुक़द्दस फ़र्ज़ यह है कि उसकी आज़ादी के तमाम अनासिर और उसके मुख़्तलिफ़ फ़िरक़ों और अक़्लियतों को उस मुल्क अपने और अपनी नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ का पूरा एहसास हो और मुकम्मल इत्मिनान हो, किसी हुकूमत की नाकामी और दस्तूर की ख़ामी की इससे बढ़कर मिसाल नहीं हो सकती कि इस मुल्क का कोई शहरी तहफ़्फ़ुज़ के एहसास से महरूम हो, वाज़ेह रहे कि एक हक़ीक़त पसंद इन्सान की हैसियत से मैं जब "तहफ़्फ़ुज़" का लफ़्ज़ बोलता हूं तो उससे मुराद जिस्मानी व मानवी, नस्ली व रूहानी हर तरह के तहफ़्फ़ुज़ होता है कि महज़ जिस्मानी तहफ़्फ़ुज़, जिस्म व जान की सलामती और क़त्ल व ग़ारतगरी से हिफ़ाज़त पर कोई बाशऊर, बाज़मीर, साहिबे अक़ीदा और साहिबे तहज़ीब जमाअत क़ानेअ और मुतमईन नहीं हो सकती।"

हज़रत मौलाना सैय्यद अबुल हसन अली हसनी नदवी (रह०)

FIFA WORLD CUP Qatar2022

मर्कज़ुल इमाम अबिल हसन अल नदवी
दारे अरफ़ात, तकिया कलां, रायबरेली

ख़ाक़ हो जाए न काशाना-ए-हस्ती अपना

"हक़ तआला शानुहू किसी क़ौम पर अचानक अज़ाब नाज़िल नहीं करता, बल्कि बार–बार तम्बीह की जाती है और अलग–अलग तरीक़ों से उसे आगाह किया जाता है, इसके बावजूद भी जब वह ख़्वाबे ग़फ़लत से बेदार नहीं होती तो अज़ाबे इलाही अपनी ख़ौफ़नाक शक्ल में आता है और उस वक़्त कोई तदबीर कारगर नहीं होती, दुनिया में जितनी मुसीबतें पेश आ रही हैं, वह सब हक़ तआला शानुहू की तरफ़ से तम्बीहात हैं और हमारी बदआमालियों की पादाश हैं।

आज हमारी इन बदअमलियों की सज़ा हमें मिल रही है, न ज़मीनदार को राहत है, न किसान को, न कारख़ानादार को सुख है, न मज़दूर को, न दुकानदार मुतमईन है न मुलाज़िम, मंहगाई लगातार बढ़ रही है, सामान–ए–ख़ुर्द व नोश से बरकत उठ गई है, ख़र्चे इतने फैल रहे हैं कि आमदनी उनका साथ देने से क़ासिर है, हादसों की रफ़्तार रोज़–बरोज़ बढ़ रही है, अस्पतालों और अदालतों में जाकर देखो तो ऐसा लगता है गोया पूरा शहर उमड़ आया है, डाका, चोरी, ज़ुल्म, बरबरियत और क़ानून तोड़ने की वजह से न किसी की जान महफ़ूज़ है न किसी का माल, न इज़्ज़त न आबरू!

हम अपनी हवस, ज़रकसी में पागल हो रहे हैं और यह मुल्क बैनुल अक़वामी (अन्तर्राष्ट्रीय) ख़तरों और साज़िशों की आमाजगाह है, लेकिन बहुत अफ़सोस है कि मुसलमानों को किसी वाक़्ये से इबरत नहीं होती, कोई हादसा उन्हें ख़्वाबे ग़फ़लत से बेदार नहीं करता, कोई ताज़ियाना इबरत भी उनके गुनाहों के नशे को उतारने के लिए काफ़ी नहीं होता, यह हालत बहुत ही दर्दनाक है।

ख़ुदा के वास्ते! अल्लाह के क़हर को और दावत न दीजिए, अल्लाह के क़हर को दावत देने वाले वह कौन से गुनाह के काम है जो हमने नहीं अपनाए? हर कुफ़्र व इल्हाद की हौसला अफ़ज़ाई की, सच्चाई को दबाया, झूठ को उछाला, रिश्वत का बाज़ार गर्म किया, ज़ालिमों के आगे झुकने और ग़रीबों, मज़दूरों और मज़लूमों को दबाने और लूटने को अपना शेआर बनाया, मस्जिदें वीरान कीं और औरतों के सर से दुपट्टा छीना, इस्लाम में औरतों को शरई पर्दा लाज़िम है और उनका बन–ठन कर बरहना बाज़ारों में निकलना, इस्लामी शरीअत और इन्सानी ग़ैरत दोनों के लिहाज़ से बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के वास्ते! इसका इन्सिदाद कीजिए, मर्द–औरत का मेल–मिलाप तमाम फ़वाहिश (अश्लील व अनैतिक कामों) की जड़ हैं। गाना–बजाना फ़वाहिश की ग़िज़ा (खाद्य सामग्री) है, ख़ुदा के वास्ते! इसको छोड़िये, इससे छुटकारा हासिल करने की तदबीर (उपाय) कीजिए। अल्लाह के अज़ाब का सैलाब हमारी तरफ़ बढ़ रहा है, इसके बचाव की एक ही सूरत है कि अपनी ज़िन्दगी में बदलाव पैदा करके अल्लाह तआला की बारगाह में रुजूअ हों, अल्लाह के हुक्मों की पाबन्दी करें, ख़ुदा के घर को आबाद करें, फ़ह्हाशी के अड्डों को हटा दें, एक अल्लाह! इस क़ौम और इस मुल्क पर रहम फ़रमा, ऐ अल्लाह! हमारी सारी ग़लतियों और गुनाहों को माफ़ फ़रमा।"

मौलाना मुहम्मद यूसुफ़ लुधयानवी (रह०)

(मुआशरती बिगाड़ का सद्देबाबः 134-138)

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

मासिक

अरफ़ात किरण

रायबरेली

अंक:1 जनवरी 2023 ई० वर्ष:15

संरक्षक: हज़रत मौलाना सैय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी (अध्यक्ष - दारे अरफ़ात)

सम्पादक

बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी

सम्पादकीय मण्डल

मुफ़्ती राशिद हुसैन नदवी

अब्दुस्सुबहान नाखुदा नदवी

सह सम्पादक

मो० नफ़ीस ख़ाँ नदवी

मुद्रक

मो० हसन नदवी

अनुवादक

मोहम्मद सैफ़

तहफ़्फ़ुज़-ए-हुक़ूक़ की बुनियादें

अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फ़रमाया:

"आदमी के बुरा होने के लिए यह बात ही काफ़ी है कि वह अपने मुसलमान भाई को हक़ीर समझे, हर मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर ख़ून, माल और उसकी आबरू हराम है।"

सही मुस्लिम: 2564

E-Mail: markazulimam@gmail.com www.abulhasanalinadwi.org

मर्कज़ुल इमाम अबिल हसन अल-नदवी दारे अरफ़ात, तकिया कलां रायबरेली,यू०पी०.229001

प्रति अंक 15रू

मो० हसन नदवी ने एस० ए० आफसेट प्रिन्टर्स, मस्जिद के पीछे, फाटक अब्दुल्ला ख़ाँ, सब्ज़ी मण्डी, स्टेशन रोड रायबरेली से छपवाकर आफिस अरफ़ात किरण,मर्कज़ुल इमाम अबिल हसन अल-नदवी, दारे अरफ़ात, तकिया कलां रायबरेली से प्रकाशित किया।

वार्षिक 100रू०

Markazul Imam Abil Hasan Al-Nadwi Samiti (Punjab National Bank) A/c No. 6127002100000339 (IFSC: PUNB0612700)

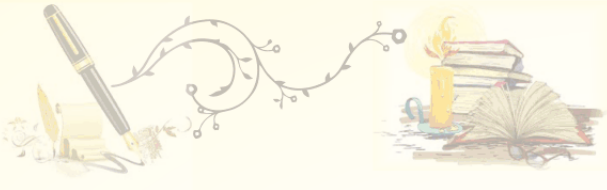

सना-ए-नबी

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद (रह0)

मौज़ूं कलाम है जो सना-ए-नबी हुई
तू इब्तिदा से तबअ-ए-रवां मुन्तहा हुई

हर बैत में जो वस्फ़ पयम्बर रक़म किये
काशाना-ए-सुख़न में बड़ी रोशनी हुई

ज़ुलमत रही न परतो हसन रसूल से
बेकार ऐ फ़लक! शब-ए-महताब भी हुई

साक़ी सलसबील के औसाफ़ जब चढ़े
महफ़िल तमाम मस्त मय बेख़ुदी हुई

दिल खोल कर रसूल से मैंने किये सवाल
हरगिज़ तलब में आर न पेश-ए-सख़ी हुई

तारीक शब में आपने रखा जहां क़दम
महताब नक़्शे पा से वहां रोशनी हुई

है शाहे दीं से कौसर व तस्नीम का कलाम
यह आबरू तमाम है हज़रत की दी हुई

सलिक है जो कि जादह-ए-इश्क़ रसूल का
जन्नत की राह उसके लिए है खुली हुई

आज़ाद और फ़िक्रे जगह पाएगी कहां
उल्फ़त है दिल में शाहे ज़मन की भरी हुई

इस अंक में:

यौम-ए-जम्हूरिया (गणतन्त्र दिवस) का पैग़ाम (संपादकीय) 3
बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी

क़ौमों के उरूज व ज़वाल का बुनियादी सबब.....4
हज़रत मौलाना सैय्यद अबुल हसन अली हसनी नदवी

जुलक़रनैन का वाक़्या और इबरत का पहलू.....5
हज़रत मौलाना सैय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी

दिल का कीना एक लाइलाज बीमारी.....6
मौलाना जाफ़र मसऊद हसनी नदवी

तक़वा क्या है?.....7
बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी

शैतानी हमले.....9
अब्दुस्सुब्हान नाख़ुदा नदवी

निकाह के चन्द मसले (6).....11
मुफ़्ती राशिद हुसैन नदवी

क़तअ रहमी.....13
मुहम्मद अमीन हसनी नदवी

फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप क़तर का जुर्रतमन्दाना किरदार.....14
मुहम्मद मक्की हसनी नदवी

मौलाना अली मियाँ (रह0) का तारीख़ी ज़ौक़.....16
मुहम्मद अरमुग़ान बदायूंनी नदवी

यनिफ़ार्म सिविल कोड – देश की एकता के लिए ख़तरा.....18
मुहम्मद नफ़ीस ख़ाँ नदवी

यौम-ए-जम्हूरिया (गणतन्त्र दिवस) का पैग़ाम

बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी

हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब (रह0) फ़रमाया करते थे कि हिन्दुस्तान तीन सुतूनों (Pillers) पर क़ायम है:

1. जम्हूरियत (Democracy)
2. सेक्यूलरिज़्म (Secularism)
3. अदमे तशद्दुद (Non-Violence)

जब तक यह सुतून मज़बूत हैं, मुल्क मज़बूत है, अगर यह सुतून कमज़ोर हो गए तो मुल्क कमज़ोरी की रास्ते पर पड़ जाएगा।

यौम-ए-जम्हूरिया हमें इन हक़ीक़तों को याद दिलाने के लिए आता है। यहां का क़ानूनी जम्हूरी ढांचा मुल्क के वक़ार की अलामत है, यह ज़िम्मेदारी है उन लोगों की जिनके हाथों में मुल्क का इक़्तिदार है कि वह इस ढांचे को किसी क़ीमत पर कमज़ोर न होने दें, यौम-ए-जम्हूरिया हर साल पूरे मुल्क के बासियों को यह पैग़ाम देता है कि वह हर हाल में इस मुल्क का वक़ार बाक़ी रखने के लिए अज़्म करें।

इस वक़्त मुल्क एक ख़तरनाक रुख़ पर पड़ गया है, मसला किसी फ़र्द का नहीं, किसी कम्यूनिटी का भी नहीं, मसला पूरे मुल्क का है, हद से बढ़ी हुई मादि्दयत, तशद्दुद का रुझान, करप्शन, लाक़ानूनियत और समाजी बुराइयां जो सारी हदें पार करती जा रही हैं, इन चीज़ों ने मुल्क की बुनियादों को कमज़ोर करने का काम शुरू कर दिया है, ऐसे वाक़्यात सामने आते हैं जो इन्सानियत को शर्मसार करने के लिए काफ़ी है, इन हालात में हम सबकी ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों ने कैसी क़ुर्बानियां दीं, हज़ारों-लाखों जानें मुल्क को आज़ाद कराने के लिए क़ुर्बान हुईं और सबने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी, आज जिस तरह मज़हब और ज़ात के नाम पर दूरियां बढ़ाई जा रही हैं और लोगों को बांटने की कोशिशें की जा रहीं हैं, यह सबके लिए इन्तिहाई क़ाबिले फ़िक्र और क़ाबिले तश्वीश बात है, अगर दूरियां बढ़ती गयीं तो हालात बिगड़ते जाएंगे, इस वक़्त ज़रूरत इस बात की है कि दूरियां कम की जाएं, एक-दूसरे को समझने की कोशिश की जाएं, वरना यह ग़लतफ़हमियां न जाने कहां से कहां पहुंचा देंगी।

यह मुल्क अमन व शांति और प्यार व मुहब्बत का मुल्क रहा है और ऐसे लोग यहां पैदा हुए जिन्होंने अपने अख़लाक़ व मुहब्बत से लोगों का दिल जीता है, हज़रत ख़्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती और हज़रत ख़्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया जैसे बुज़ुर्ग इस मुल्क की अज़मत और इसकी पहचान हैं, बड़ी ज़िम्मेदारी हम मुसलमानों की है जिनके पास अख़लाक़ व मुहब्बत का वह निज़ाम है जिसने हमेशा दिलों को जीता है और सच्ची बात है कि...

जो दिलों को फ़तेह कर ले वही फ़ातह-ए-ज़माना

मुसलमानों की बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वह इस सौग़ात को तक़सीम करें, रसूलुल्लाह (स0अ0व0) ने जिस तरह उफ़ू व दरगुज़र से काम लिया और इन्सानियत के लिए रसूलुल्लाह (स0अ0व0) की मुबारक ज़िन्दगी में कैसी-कैसी मिसालें हैं:

गालियां जिसने दीं उसको तोहफ़े दिए
ज़ख़्म जिसके लगे ज़ख़्म उसके सिये
आफ़ियत की दुआ मांगी सबके लिए
की जफ़ा जिसने बदले वफ़ा से दिये
जिसने सबको पिलाया मुहब्बत का जाम
उसपे लाखों दरूद उसपे लाखों सलाम

क़ौमों के उरूज व ज़वाल का बुनियादी सबब

हज़रत मौलाना सैय्यद अबुल हसन अली हसनी नदवी (रह०)

रोम की सल्तनत पर जब ज़वाल आया तो वहां इल्मी मराक़िज़, अदबी मशग़ले और लताफ़ते ज़ौक़ के मज़ाहिर बकसरत मौजूद थे, जिनकी नज़र इन्सानी तारीख़ पर है, वह बख़ूबी जानते हैं कि जो क़ौमें ज़वाल का शिकार हुईं, वह आख़िरी नज़ाई हालत में भी तहज़ीबी तौर पर ज़िन्दा थीं। जिस वक़्त ईरान पर मुसलमानों का हमला हुआ उस वक़्त ईरान का तमद्दुन उरूज पर था, इसका अंदाज़ा "दरफ़शे कावयानी" "फ़र्शे बहार" की उन तफ़सीलात से हो सकता है, जिनसे मालूम होता है कि ईरानियों का जमालियाती ज़ौक़ और तमद्दुन किस नुक़्ते तक पहुंच चुका था, मगर यह चीज़ें सल्तनते सासानिया को ज़वाल से नहीं बचा सकीं, अक़्ल दंग रह जाती है जब हम यह देखते हैं कि तहज़ीब के उरूज व तरक़्क़ी के बावजूद शाम व मिस्र, ईरान व रोमा ज़वाल से न बच सके, इसकी वजह यह थी कि वहां का समाज करप्ट हो चुका था, दिन को रात और रात को दिन, ज़ुल्म को अद्ल और अद्ल को ज़ुल्म कहने का रिवाज बन चुका था, कोई भी अच्छी बात करते वक़्त यह देखा जाता था कि कहने वाला कौन है? अगर कोई ताक़तवर या दौलतमन्द दिन को रात कह देता तो ऐसे ख़ुशामदी लोग बकसरत पाए जाते थे जो आसमान की तरफ़ इशारा करके उसको सही साबित करने की कोशिश करते और कहते कि सितारे निकले हुए हैं और चांदनी छिटकी हुई है। बदक़िस्मती से हिन्दुस्तान में यह रूझान आम हो गया है।

मुल्क की आज़ादी के बाद जिस मसले पर तमाम तवज्जोहात मरकूज़ होना चाहिए थीं, वह यह मसला था कि क्या यहां एक सालेह मुआशरा वजूद है? अब हर उस शख़्स के लिए जिसे इस मुल्क से मुहब्बत है, लज़ीज़तरीन, अज़ीज़तरीन, मुक़द्दसतरीन काम यह है कि अगर भीख भी मांगनी पड़े, ख़ैरात के टुकड़े भी जमा करने पड़ें, झोली भी फैलानी पड़े, यहां तक कि किसी मुफ़लिस के चिराग़ से भी रोशनी हासिल की जा सकती हो तो उसे हासिल करके एक ऐसे समाज को वजूद में लाया जाए जो ज़ुल्म से साज़बाज़ न करे, जिसमें ख़ौफ़े ख़ुदा हो, जिसमें हक़ बात कहने की जुर्रत हो और वह ज़ालिम को ज़ालिम कह सके और मज़लूम को मज़लूम, यह इस मुल्क की मौत व ज़िन्दगी का मसला है, हमारो फ़र्राख़ दिल व रोशनख़्याल रहनुमाओं पर यह ज़िम्मेदारी आती है कि वह एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें ज़ुल्म सर न उठाए और अगर उठाए तो सर कुचल दिया जाए।

अगर क़ौमी कार्यकर्ताओं में देश से सच्ची मुहब्बत होती और हर तरह के तअस्सुबात और तंग नज़री से पाक होते तो इस मक़सद के हुसूल में इस्लाम से बड़ी मदद मिल सकती थी, इस्लाम की तालीमात से (जो इस मुल्क का एक मज़हब है और जिसकी पैरवी करने वाले करोड़ों की तादाद में यहां पाए जाते हैं) इस सिलसिले में बड़ा फ़ायदा उठाया जा सकता था, ऐसी सूरत में मुल्क ज़्यादा मज़बूत और बावक़ार होता और इन्सानियत की उमूमी फ़लाह में एक अहम किरदार अदा करता।

आपको जाएज़ा लेना पड़ेगा कि वह कौन सी ख़राबियां और कमज़ोरियां हैं जो हमारे समाज में नुफ़ूज़ करके उसे खोखला, मफ़लूज और मुल्क की तामीर व तरक़्क़ी की कोशिशों को बेअसर बना रही हैं, इस मुल्क के लिए जो हक़ीक़ी ख़तरे हैं, उनकी निशानदेही न की जाए तो यह एक बहुत बड़ी ख़यानत होगी, मैं सियासत के मैदान का कोई शहसवार नहीं, मज़हब व तारीख़ और अख़लाक़ियात का एक तालिबइल्म हूं, इस तरह के आदमी की ज़बान से तन्क़ीद और इस्लाह की कोई बात निकले तो उसकी नियत पर शुब्हा नहीं करना चाहिए।

इस मुल्क के लिए अव्वलीन ख़तरा यह है कि यहां इन्सान की क़द्र व क़ीमत और इन्सानी शर्फ़ व इज़्ज़त का पूरा एहसास नहीं, इस सिलसिला में मेरा नुक़्ता–ए–नज़र और तास्सुर एक अमली इन्सान का है, मेरी क़िस्मत इस मुल्क से जुड़ी हुई है, मैंने यहां रहने का फ़ैसला किया है, मैं ज़िन्दगी के मंझधार में हूं, मैं ऐसी जगह खड़ा हूं जहां का हर मसला मुझ पर बराहेरास्त असरअंदाज़ होता है, ...(शेष पेज 11 पर)

ज़ुलक़रनैन का वाक़या और इबरत का पहलू

हज़रत मौलाना सैय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी

क़ुरआन मजीद में ज़िक्र है कि ज़ुलक़रनैन हुकूमत क़ायम करते हुए एक दूर–दराज़ मग़्रिबी इलाक़े में पहुंचे, जहां इन्सानों की आबादी थी, वह लोग उनकी ताक़त व क़ूव्वत के सामने सरनिगूं हो गए, तो अल्लाह ने उनके सामने बादशाहत की दोनों सूरतें रखीं कि अगर तुम चाहो तो दुनियावी बादशाहों की तरह रवैया अपनाओ और जिसको चाहो मारो, जिसको चाहो सज़ा दो और जिसको चाहो लूट लो और अगर तुम चाहो तो लोगों के साथ वह रवैया अपनाओ जो अल्लाह को पसंद है, यानि मुहब्बत और हमदर्दी का सुलूक करो, चुनान्चे ज़ुलक़रनैन ने कहा कि ऐ हमारे परवरदिगार! हम तो बेहतर तरीक़ा अख़्तियार करेंगे, जो शख़्स गुनाह करेगा और ज़्यादती से काम लेगा या ग़लत रास्ते पर पड़ेगा तो उसको हम सज़ा देंगे और फ़िर जब वह अल्लाह के यहां हाज़िर होगा तो वहां भी सख़्त सज़ा का मुस्तहिक़ होगा, ताहम जो लोग अच्छे आमाल करेंगे और हक़ बात क़ुबूल करेंगे तो उनको अच्छा बदला मिलेगा और ऐसे लोगों पर हमारी हुकूमत का रवैया नर्म होगा और हम उनसे आसानी से बात कहेंगे, जिससे उनको आसानी हासिल हो और मदद मिले, ताकि उनकी अच्छाई और नेकी उनके काम आ सके, गोया ज़ुलक़रनैन ने यह इक़रार किया कि हम ईमान वाली हुकूमत चलाएंगे, ईमान वाला रवैया अपनाएंगे और लोगों को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर कोई शख़्स अच्छा नहीं बनना चाहेगा तो जैसा कि इस्लामी सज़ाएं मुक़र्रर हैं, उन्हीं के हिसाब से हम उसको सज़ा देंगे।

ज़ुलक़रनैन ने अपनी सल्तनत की हुदूद को वुसअत देने का काम जारी रखा और अपने साज़ोसामान के साथ आगे बढ़ते रहे, यहां तक कि उनका गुज़र एक ऐसे दूर–दराज़ के मश्रिक़ी इलाक़े से हुआ, जहां इन्सानों की आबादी थी और सूरज उनके ऊपर इस तरह तुलूअ होता था कि उनके पास आड़ करने या ढकने की कोई चीज़ नहीं थी, यानि न उनके पास ढंग से पहनने के लिए कपड़े थे और न ही महफ़ूज़ मकानात थे, बल्कि वह बिल्कुल अजीब क़िस्म के लोग थे जो उन्हें मिले, क़ुरआन मजीद की गवाही है कि उन लोगों के साथ ज़ुलक़रनैन ने जो रवैया अख़्तियार किया, हम उससे ख़ूब अच्छी तरह वाक़िफ़ हैं, यानि उन्होंने लोगों के साथ सुलूक करने में अल्लाह तआला की मर्ज़ी को अख़्तियार किया।

इस मक़ाम से आगे बढ़े तो ज़ुलक़रनैन का गुज़र एक ऐसी जगह से हुआ जहां दो पुश्ते मिल रहे थे, उन्होंने वहां ऐसे लोग देखे जिनसे अगर कुछ कहा जाए तो उनकी समझ में कोई बात नहीं आती थी, गोया वह वहशी क़िस्म के लोग थे और बड़े परेशान थे, चुनान्चे उन लोगों ने ज़ुलक़रनैन के सामने अपनी परेशानियां बयान कीं और कहाः ऐ ज़ुलक़रनैन! याजूज–माजूज एक वहशी क़िस्म की उजड्ड क़ौम है, जिसने ज़मीन में फ़साद फैला रखा है, इसकी वजह से हम बड़ी मुसीबत में मुब्तिला हैं और तुम एक बड़े बादशाह हो, इस तकलीफ़ और आज़माइश से तुम ही हमें निजात दिला सकते हो, अगर इस सिलसिले में कुछ मसारिफ़ का मसला होगा तो उनका इन्तिज़ाम हम कर देंगे, लेकिन आप के पास वसाएल हैं और आप बादशाह हैं, इसलिए इतना कर दीजिए कि हमारी इस क़ौम के दरमियान एक दीवार क़ायम कर दें ताकि हम मुसीबत से बरी हो जाएं।

ज़ुलक़रनैन ने इस दरख़्वास्त पर संजीदगी से ग़ौर किया और जवाब दिया कि बिलाशुब्हा अल्लाह ने मुझे असबाब व वसाएल अता किये हैं और मदद करने के मौक़े भी बख़्शेगा, मेरे पास बहुत ख़ैर है, लिहाज़ा मैं तुम लोगों की ज़रूर मदद करूंगा, बस मुझे तुम्हारा तआउन चाहिए न कि इस काम पर कोई मुआवज़ा और तुम्हारा तआउन यह है कि एक दीवार क़ायम करने के लिए जिस सामान की ज़रूरत है वह तुम मुझे मुहैया करा दो यानि लोगा वग़ैरह, यहां तक कि जब उसके दोनों हिस्से बराबर हो जाएं तो लोहा रखकर एक दीवार बना दी जाएगी, जिसके ऊपर इस क़द्र आग जलाई जाएगी कि लोहे में पिघलने की सलाहियत पैदा हो जाए, फ़िर जब लोहा पिघल जाएगा तो उसकी दराज़ें बन्द कर दी जाएं और उनमें सियाल माद्दा भर दिया जाएगा, ताकि दीवार मज़ीद मज़बूती पकड़ ले, इसके बाद याजूज–माजूज के बस में नहीं होगा कि .....(शेष पेज 15 पर)

दिल का कीना

एक लाइलाज बीमारी

मौलाना जाफ़र मसऊद हसनी नदवी

दिल में कीना (ईर्ष्या) रखने वाला न आराम से रह सकता है, न सुकून से सो सकता है और न इत्मिनान की ज़िन्दगी बसर कर सकता है, क्योंकि हसद व कीना एक ऐसी बीमारी है जो किसी को लग जाए तो आदमी को किसी लाएक़ नहीं छोड़ती, आदमी घुलता रहता है, सूखता जाता है, इलाज करता है, लेकिन इलाज से कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि जो इसका इलाज है उस इलाज को वह अख़्तियार नहीं करता और वह है उरूज व ज़वाल, ख़ुशी व ग़मी, तरक़्क़ी व तनज़्ज़ुली, कामयाबी व नाकामी, अमीरी व ग़रीबी, सबको तक़दीर समझकर अल्लाह से दिल लगाना, उसी से मांगना, उसी से तलब करना, उस पर सबकुछ छोड़ देना और उसके हर फ़ैसले और हर तक़सीम पर राज़ी रहना, अल्लाह तआला का इरशाद है:

"अगर तुमने एहसान माना तो हम तुम्हें और देंगे और अगर तुमने नाशुक्री करोगे तो मेरी मार बड़ी ही सख़्त है।" (सूरह इब्राहीमः 07)

रसूलुल्लाह (स0अ0व0) ने हमें यह तालीम दी है कि अगर हम किसी नेअमत को देखें तो यह दुआ पढ़ें:

(ऐ अल्लाह जो भी नेमत मुझे या तेरी मख़लूक़ में से किसी को मिली वह सिर्फ़ तेरी तरफ़ से है, तू अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं, तारीफ़ सिर्फ़ तेरी है और तेरा ही शुक्र है)

इसी तरह हमारे नबी (स0अ0व0) ने हमें बताया कि हम किसी को तकलीफ़, परेशानी या किसी मुसीबत में मुब्तिला देखें तो उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह तआला उसकी तकलीफ़ को दूर फ़रमा दे, उसके गुनाहों को माफ़ कर दे और जो मुसीबत उस पर आन पड़ी है उसको दूर करने की हम ख़ुद भी कोशिश करें, इमाम ग़ज़ाली लिखते हैं: साफ़ दिल अल्लाह तआला से और ज़िन्दगी से राज़ी रहता है और मुकम्मल क़ल्बी इत्मिनान उसे नसीब होता है और कहते हैं कि कीना दिल का एक ऐसा रोग है जिसकी कोई दवा नहीं, जिस दिल को वह लग जाए, वहां से ईमान ऐसे ग़ायब हो जाता है, जैसे फूटे बर्तन से पानी।

नफ़रत हमेशा बुलन्दी, इज़्ज़त, शोहरत और तरक़्क़ी को रोकती है, नफ़रत करने वाला अपने साथियों से तन्हा हो जाता है, अपनेआप में समेटकर रह जाता है, न किसी से मिलता है, न ही उसको ख़ुशी मिलती है, न कोई उसकी मदद करता है, न ही उसको ख़ुशी मिलती है और ज़रूरत पड़ने पर कोई उसका साथ नहीं देता, उस पर भरोसा नहीं करता, किसी के दिल में उसके लिए मुहब्बत के जज़्बात नहीं होते, एक अरबी सरदार कहता है:

"मैं उनके लिए अपने दिल में कोई कीना नहीं रखता और जो कीना रखे वह क़ौम का सरदार नहीं हो सकता।"

कीना इन्सान को दूसरों से बिल्कुल काट देता है, उसके दिल में नफ़रत पैदा करता है, अक़्लमन्दों को बेअक़्ल और दानाओं को नादान बना देता है, उसको दूसरों की अच्छाइयां नज़र नहीं आतीं, बुराइयां ज़्यादा दिखने लगती हैं और ऐसा बीमार शख़्स झूठ गढ़ने, अफ़वाहें फैलाने और जिससे कीना रखता है उसको बदनाम करने में लग जाता है, वह ऐसे कामों से पड़ जाता है जिसकी वजह से वह मुआशरे से कट जाता है, रसूलुल्लाह (स0अ0व0) से पूछा गया कौन लोग बेहतर हैं? आपने फ़रमायाः "सच्चे दिल और सच्ची ज़बान वाला" पूछा गया सच्चा दिल क्या है? फ़रमायाः

"वह ख़ालिस परहेज़गार शख़्स जिसमें कोई गुनाह न हो, कोई ज़्यादती, कोई बुग़्ज़ व हसद न हो।"

इस्लाम इन उसूलों की दावत देता है और तफ़रक़ा और इन्तिशार और फूट से बचाता है, उनमें मुहब्बत व भाईचारा पैदा करता है और उन चीज़ों की दावत देता है जो एक मज़बूत मुआशरे के लिए ज़रूरी हैं, रसूलुल्लाह (स0अ0व0) ने फ़रमाया कि एक–दूसरे से हसद न करो, एक–दूसरे से नफ़रत न करो और ख़ुदा के बन्दे बनकर रहो।

इस्लाम नफ़रत का मुक़ाबला करता है, उसको फलने–फूलने नहीं देता और मुस्लिम मुआशरे को ऐसी बुलन्दी तक पहुंचाता है जिसमें एक–दूसरे के ताल्लुक़ से दिल साफ़ हों, नफ़रत, कीना, हसद से एक–दूसरे के दिल पाक–साफ़ हों। (अनुवादः मुहम्मद अमीन हसनी नदवी)

तक़्वा क्या है?

बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी

तक़्वे की तक़रीह:

तक़्वे की ज़िन्दगी सबसे ज़्यादा कामयाब ज़िन्दगी और ईमान की जान व शान है, तक़्वा आमाल की बुनियाद है, जब तक़्वा ज़िन्दगी के अन्दर आता है तो आदमी ग़लत कामों से बचता है, इसलिए कि उसके अन्दर अल्लाह का ख़ौफ़ व डर होता है। तक़्वा के माने अस्लन डर के नहीं हैं, अरबी में डर के लिए ख़ौफ़ या ख़शियत का लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है और ख़शियत भी उस डर को कहते हैं जिसमें मुहब्बत व अज़मत शामिल हो, अगर उसके साथ डर है तो वह ख़शियत है। इसी तरह तक़्वा अस्लन लिहाज़ करने को कहते हैं, आदमी किसी से मुहब्बत करता है और दिल के अन्दर उसकी अज़मत भी है, वह उसको बहुत बड़ा समझता है और उसका लिहाज़ करता है, तो उसको यह ख़्याल होता है कि कहीं हमारा यह काम उसके नज़दीक नापसंद न हो जाए, क्योंकि वह हमारा महबूब है, हम उसको चाहते हैं, वह भी हमें चाहता है, कहीं ऐसा न हो कि हम कोई ऐसा काम कर दें कि वह हमसे ख़ुदा न ख़्वास्ता नफ़रत करने लगे और हमसे नाराज़ हो जाए, अगर दिल के अन्दर यह ख़्याल बस गया तो आदमी फिर सोच–सोच कर और फूंक–फूंक कर क़दम उठाता है, वह ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिससे उसको नुक़सान हो, मशहूर है कि दूध का जला छांछ भी फूंक–फूंक कर पीता है, यानि एक मर्तबा अगर किसी ने नासमझी में खौलता हुआ गरम दूध पी लिया, तो वह आइन्दा से छाछ भी फूंक–फूंक कर पीता है, क्योंकि जब आदमी को एक मर्तबा ठोकर लग जाती है या उसका नुक़सान सामने आ जाता है तो आदमी बाद में दस बार सोचता है कि ऐसा ग़लत काम न करें जिसका हमें बाद में नुक़सान हो और हमें इसका ख़मियाज़ा भुगतना पड़े। ठीक उसी तरह तक़्वे का मिज़ाज भी आहिस्ता–आहिस्ता बनता है और बनाने से बनता है, इसमें इन्सान को अपनी तरबियत ख़ुद करनी पड़ती है।

तरबियत के मराहिल:

इन्सान की तरबियत का सबसे पहला मरहला यह है कि आदमी ख़ुद अपनी तरबियत करे, अपना जाएज़ा ले और अपनी ज़िन्दगी के बारे में ग़ौर करे, इसलिए कि अगर वह ख़ुद तरबियत की कोशिश नहीं करेगा तो वह दुनिया का कोई बड़े से बड़ा वली हो, लेकिन वह किसी शख़्स की उस वक़्त तक तरबियत नहीं कर सकता, जब तक कि वह शख़्स ख़ुद अपनी तरबियत न करना चाहे। तरबियत का दूसरा मरहला यह है कि इन्सान का अगर कोई बड़ा है, कोई मुरब्बी है, कोई आलिम या शेख़ है, तो जो उसको सही मशवरा दे या बताए कि तुम्हारा यह काम सही है और यह ग़लत है, तो आदमी उसको मानें बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि आदमी अपने बहुत से ग़लत कामों को सही समझता है, क़ुरआन मजीद में है:

"यह वह लोग हैं जिनकी कोशिश दुनिया की ज़िन्दगी में बेकार गईं और वह समझते रहे कि वह बहुत बेहतर काम कर रहे हैं।" (सूरह कहफ़: 104)

इस आयत की रोशनी में ग़ौर करें कि पत्थरों और दरख़्तों यहां तक कि गोबर को पूजने वालों और बुतों के आगे अपने सरों को रखने वालों का हाल यह होता है कि वह अपने काम को बहुत अच्छा समझते हैं।

ग़लत राह पर चलने का अंजाम:

अल्लाह तआला का अजीब निज़ाम है कि आदमी जब ग़लत रास्ते पर चलता है और वह अपना जाएज़ा नहीं लेता और अपने बारे में सही फ़ैसले नहीं करता और ग़ौर नहीं करता तो उसका नतीजा यह होता है कि वह ग़लत रास्ते में चला जाता है और उसको

एहसास भी नहीं होता कि हम क्या करे रहे हैं? इसका नतीजा यह होता है कि इन्सान ग़लत और फ़ासिद तावीलात करता है और उसका ज़हन पूरी तरह ख़राब हो जाता है, लेकिन वह अपनी ग़लती को ग़लती नहीं समझता, इसीलिए अगर आदमी का कोई बड़ा है, जिसकी वह बात मानता है, तो उससे मशवरा करते रहना चाहिए, अगर वह कहे कि तुम यहां ठोकर खा रहे हो और यहां ग़लती कर रहे हो, तो वह सोचे के वाक़ई हमसे ग़लती हो रही थी।

फ़िक्र की ग़लतीः

इसी के बरख़िलाफ़ अगर कोई शख़्स यह सोचता है कि हमारा दिल बिल्कुल साफ़ है और हमसे ग़लती नहीं हो सकती, तो याद रहे कि ऐसे शख़्स ने अपने हक़ में तरबियत का दरवाज़ा मसदूर कर दिया, उसकी तरबियत या तज़किया नहीं हो सकता, इसलिए कि उसका दिल गोया कूड़े–कबाड़ का मरकज़ है, लेकिन वह जानता ही नहीं कि हमारे दिल में कूड़ा–कबाड़ है तो उसकी इस्लाह कैसे मुमकिन है, अलबत्ता जो शख़्स जानता है कि कूड़ा–कबाड़ है तो वह उसको साफ़ करेगा और इस्लाह की कोशिश भी करेगा, लेकिन यह जब ही होता है जब रोशनी हो, अंधेरे में कूड़ा नज़र नहीं आता, जैसे आप किसी कमरे में हैं, जहां लाइट नहीं है और वहां जगह–जगह गंदगी पड़ी हुई है, अब अगर आपको बदबू नहीं आ रही है तो आपको एहसास भी नहीं होगा कि हम कहां खड़े हैं, लेकिन ज़रा भी रोशनी हो गयी तो आपको फ़ौरन एहसास होगा, हो सकता है कि उब्काई भी आने लगे और वहां दो मिनट खड़ा होना मुश्किल हो जाए, क्योंकि आपको वह चीज़ नज़र आने लगी। ठीक इसी तरह कई बार इन्सान ऐसी ग़लतियां करता है कि वह ग़लतियां उसको नज़र नहीं आतीं और उनका ताफ़ुन भी उसको महसूस नहीं होता, लिहाज़ा इसकी ज़रूरत होती है कि वह अपने ऐसे किसी बड़े जानने वाले से पूछे जो उसका ख़ैरख़्वाह हो।

तरबियत का ताल्लुक़ किसी ऐसे शख़्स से क़ायम होना चाहिए जिससे उसको मुहब्बत हो और वह शख़्स दीन पर चलने वाला आलिम हो और दीन की बुनियादों बल्कि उसकी बारीकियों से भी वाक़िफ़ हो, जब इन्सान ऐसे शख़्स से कुछ पूछेगा तो वह बताएंगे कि जिसको तुम अच्छा समझ रहे हो, वह सही नहीं है बल्कि ग़लत है। लोगों से अक्सर ऐसी ग़लतियां होती हैं कि वह अच्छाइयों को नहीं जानते, लेकिन वह बहुत सी उन चीज़ों को अच्छाइयां समझकर अपना लेते हैं, जो अच्छाइयां नहीं बल्कि बुराइयां होती हैं।

तक़वे का ज़रियाः

तक़वे की ज़िन्दगी भी अपनी तरबियत करने से हासिल होती है और जब आदमी अपना जाएज़ा लेता रहता है तो तक़वे का मिज़ाज बनता है, दिल में अल्लाह का ख़्याल आता है और उसका ध्यान पैदा होता है, इसलिए यह बात कही जाती है कि जब ज़िक्र की कसरत पैदा की जाएगी तो अल्लाह का ध्यान और उसका लिहाज़ पैदा होगा और उसी का नाम तक़वा है, जिसके बाद आदमी एहतियात से चलेगा, लेकिन यह लिहाज़ जब ही होगा जब आदमी ज़िक्र की कसरत करे, क्योंकि ज़िक्र से नूर पैदा होता है और दिल रोशन होता है और जब दिल रोशन होता है तो उसको वह ख़राबियां और गन्दगियां नज़र आती हैं, जो आम तौर पर जुलमत की परत चढ़े हुए होने की वजह से नज़र नहीं आतीं, कुरआन मजीद में मक्का के मुश्रिकों के बारे में उन्हीं का क़ौल मनकूल है, अल्लाह तआला का इरशाद हैः

"और वह बोले कि हमारे दिल मोहरबन्द हैं।" (अलकुरआन)

मोहरबन्द का मतलब यह है कि ऊपर से अन्दर तक कोई बात जा ही नहीं सकती, ज़ाहिर है अगर कोई शख़्स अपना मिज़ाज इस तरह बना लेगा तो उसकी इस्लाह कभी नहीं हो सकती और आम तौर पर इस्लाह के अन्दर तकब्बुर मानेअ (रुकावट) होता है, इन्सान समझता है कि हम तो सबसे ज़्यादा जानते हैं, हम और हमारे बाप–दादा जो करते चले आए हैं उससे बेहतर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती।

शैतानी हमले

अब्दुस्सुब्हान नाख़ुदा नदवी

बेहतरीन इन्सान वह है जो अक़ीदे का सच्चा, अख़लाक़ का पाकीज़ा और आम मामलात में अफ़रात व तफ़रीत से पाक हो, शैतान के हमले उन्हीं तीन बुनियादों पर होते हैं, वह सबसे पहले इन्सान के अन्दर बेएतदाली और नाहमवारी पैदा करता है, बुराई पर आमादा करके कमालाते इन्सानी में ख़राबी पैदा करता है और यह इन्सान को गिराने की अव्वलीन कोशिश होती है, सही तरीक़े से माल कमाकर सही जगह पर ख़र्च करना इन्सानी कमाल है, लेकिन शैतान इन्सानी फ़क्र का ख़ौफ़ दिलाकर कंजूस बना देता है, अल्लाह का इरशाद है:

"शैतान तुम्हें फ़क्र का ख़ौफ़ दिलाता है।"

इसी तरह वह इसराफ़ व तब्ज़ीर में मुब्तिला करके माल तबाह कर देता है:

"बेजा ख़र्च करने वाले शैतान के भाई हैं।"

कभी रियाकारी में मुब्तिला करके तसन्नो व तकब्बुर का मिज़ाज पैदा करता है:

"जो लोग दिखावे के लिए ख़र्च करते हैं।"

आगे मज़कूर है:

"शैतान जिसका साथी बन गया तो बड़ा बुरा साथी बना।"

यह तमाम उमूर शैतान की पैदा की हुई नाहमवारियां हैं, जोश व जज़्बा इन्सानी कमाल है, लेकिन शैतान उसी जोश को गुस्से का रंग देकर बड़ी बड़ी ख़राबियां पैदा करता है, इसीलिए ''अलग़ज़ब मिनश्शैतान'' कहा गया है, शैतान कभी जोश व जज़्बे को एतदाल से कम करके बेग़ैरती व बुज़दिली भी पैदा करता है, अल्लाह तआला का इरशाद है:

"यह शैतान है जो अपने औलिया में ख़ौफ़ पैदा करता है।"

बहरहाल शैतानी कोशिश यही होती है कि मोतदिल कामों में नाहमवारी पैदा की जाए और बनी आदम के काम सही तरीक़े से तकमील को न पहुंचे, इसलिए सूरह बक़रा में एक जगह इरशाद है:

"बिलाशुब्हा शैतान तुम्हें बुराई और फ़ह्शा पर आमादा करता है और इस पर कि तुम अल्लाह पर वह बातें कहो जिनके बारे में तुम्हें कुछ इल्म नहीं हैं।" (सूरह बक़राः 169)

"अस्सूअ" हर बुराई और ख़राबी को कहते हैं, शैतान इन्सान को सबसे पहले आम बुराइयों पर आमादा करता है, उसमें इन्सान फंस जाए तो फिर सबसे बड़ी अख़लाक़ी ख़राबी यानि बेहयाई और फ़ह्शा की तरफ़ क़दम बढ़ाता है, क़ुरआन मजीद ने इसी को "अलफ़हशाइ" कहा है, कोई ग़लत काम जब ख़बासत में बहुत बढ़ जाए तो उस वक़्त उसे "अलफ़हश" "अलफ़हशाइ" या "अलफ़हशाहु" कहा जाता है। कोई बात या काम कराहतअंगेज़ या घिन आमेज़ हो जाए तो उस वक़्त फ़हश बिलक़ौल या फ़हश बिलफ़ेल अल्फ़ाज़ इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह कोई चीज़ हद से ज़्यादा हो जाए तो उस वक़्त भी अरबी में "फ़हशुल अम्र" कहते हैं। "अलफ़हशाई" में बेहयाई और हद से बढ़ जाने का मफ़हूम पाया जाता है, कई लोगों का कहना है कि क़ुरआन करीम में जहां कहीं फ़हशा का लफ़्ज़ आया है, उससे मुराद ज़िनाकारी है, इन्सान को बेहया बनाना शैतान का दिलचस्प मशग़ला है, बेहया इन्सान जानवरों की सतह पर उतर आता है, फिर उससे हर तरह का काम लेना मुमकिन है, हदीस पाक में आता है:

"जब तुम्हारे अन्दर हया ही नहीं तो जो चाहे करो।"

क़ुरआन करीम के बाज़ और मक़ामात पर भी "अलफ़हशाइ" को शैतान की तरफ़ से मन्सूब किया गया है, हज़रत आदम (अलैहिस्सलाम) पर उसका सबसे पहला हमला बेहयाई की राह से हुआ था, शैतान ने

पहले मरहले में कुफ़्र व शिर्क की दावत नहीं दी थी, बल्कि वह बनी आदम को बेग़ैरत बनाकर कुफ़्र व शिर्क की खाई में ढकेलना चाहता है, यही वजह है कि रसूलुल्लाह (स0अ0व0) ने जब ईमान के शोबे बयान फ़रमाए तो हया का ख़ासतौर पर अलग तज़किरा फ़रमाया, रसूलुल्लाह (स0अ0व0) का इरशाद है:

"ईमान के सत्तर से सभी ज़्यादा शोबे हैं जिनमें सबसे अफ़ज़ल 'ला इलाहा इल्लल्लाह' का क़ायल होना है और इसका सबसे छोटा शोबा रास्ते से तकलीफ़देह चीज़ों को हटाना है और हया ईमान का ही एक अहम हिस्सा है।"

हदीसों से यह भी मालूम होता है कि इब्लीस के नज़दीक सबसे पसंदीदा काम मियां–बीवी में फूट डालना है, मियां–बीवी में फूट पड़ गयी तो दोनों अपनी तबई ख़्वाहिश की तकमील के लिए बेहयाई के रास्ते पर पड़ सकते हैं, इसलिए शैतान को यह अमल ज़्यादा पसंद है, बेहयाई के नतीजे में इन्सान इस क़द्र गिर जाता है कि फिर किसी संजीदा काम का नहीं रहता और शैतान यही चाहता है।

शैतान के इन्सान को बेहया बनाने की अस्ल ग़रज़ यह है कि इन्सान अल्लाह तआला का गुस्ताख़ बन जाए, अल्लाह के हुक्मों की अज़मत उसके दिल से निकल जाए, यह शैतान की आख़िरी मंज़िल है, वह ख़ुद भी ऐसा ही है, अल्लाह के हुक्म को उसने खुल्लम–खुल्ला ठुकरा दिया था, यही काम वह बनी आदम से भी चाहता है, इसी का चैलेंज उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दिया था, गोया वह आम ख़राबियों से बड़ी अख़लाक़ी ख़राबी यानि ''अलफ़हशाइ'' तक पहुंचाता है, फिर वहां से अक़ीदे के बिगाड़ तक ले जाता है, यह शैतान की बुनियादी ख़तवात हैं, इस ताल्लुक़ से होशियार रहने की ज़रूरत है, जब इस पस्ती तक इन्सान गिर जाता है तो फिर अल्लाह तआला के हवाल से जो भी बात उसे बतायी जाए वह अपने आबा व अजदाद की खुराफ़ात से उसका मुक़ाबला करता है, यानि अल्लाह के हुक्म को सीधे–सीधे कुबूल करने का जज़्बा लगभग मर जाता है, यह बिल्कुल वही शैतानी तर्ज़े अमल है जो उसने आदम को सज्दा करने के हुक्म पर अपनाया था।

शेषः क़ौमों के उरूज व ज़वाल का बुनियादी सबब

..... मैं बैरूने मुल्क अगर यह बात कहता तो उसकी हैसियत दूसरी होती, हक़ीक़त तो यह है इन्सानी जान की सही क़द्र व क़ीमत को न पहचानना किसी समाज के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है, बल्कि इन्सानी जान का बेक़ीमत हो जाना तहज़ीब व तमद्दुन (सभ्यता व संस्कृति) और इन्सानियत के मुस्तक़बिल के लिए मौत का पैग़ाम है। किसी मुल्क की आबादी चाहे जितनी ज़्यादा हो, उसके पास कुदरती वसाएल की कितनी ही ज़्यादा हो, वह मुल्क कितना ही ज़रख़ेज़ और दौलतमन्द हो, उसकी तालीम कैसी ही आला दर्जे तक पहुंच चुकी हो, कोई ख़ैर ऐसे मुल्क को महफ़ूज़ नहीं रख सकती जो बिरादरकशी की बीमारी में मुब्तिला हो।

यह बड़ी हैरत व इन्तिहाई अफ़सोस की बात है कि वह मुल्क जिसने कभी ज़माना क़दीम में प्रेम की सुरीली बांसुरी बजाई थी और दिलकश लय में हिन्दी, संस्कृत और फिर उर्दू में मुहब्बत का पैग़ाम दिया था और आख़िरी दौर में भी जहां बैठकर मुसलमान सूफ़ियों ने इन्सानी दोस्ती और इन्सानियत के एहतराम का दर्स दिया था और जिस सरज़मीन से गांधी जी ने अंहिसा का पैग़ाम सारी दुनिया को सुनाया था और जिसके पास आज फिर हर ज़बान में इन्सानी दोस्ती का वसीअ लिट्रेचर है, इस मुल्क में आज इन्सानियत के शर्फ़ व इन्सानी जान की क़ीमत का पूरा एहसास नहीं!

यह एहसास व ख़्याल इस मुल्क में रच–बस जाना चाहिए था कि ज़बानों के मसाएल, कल्चर व तहज़ीब के मसाएल, रस्तुमलख़त (लिपि) के मसाएल इन्सान के मसाएल हैं और उसके ताबए हैं, उन्हें इन्सानों ने पैदा किया है, उनके अन्दर जो कुछ कशिश व मानवियत है, वह इन्सान की निस्बत से है, अगर इन्सान की जान महफ़ूज़ नही तो कैसी ज़बान, कहां का कल्चर, कहां के दरिया, कैसे पहाड़, कैसा अदब व लिट्रेचर, कहां की शायरी?!

इन चीज़ों की कोई मानवियत नहीं, मानवियत तो इन्सान में है और यह एक वाक़्या है कि इस मुल्क में इन्सानी ज़िन्दगी की क़द्र व क़ीमत का जितना अमीक़ एहसास होना चाहिए वह नहीं है। अंग्रेज़ों की बंटवारे की सियासत का इसमें कितना हिस्सा है और इसको तय करना इतिहासकारों का काम है।

निकाह के चन्द मसाएल (8)

मुफ़्ती राशिद हुसैन नदवी

निकाह में वली होना:

कई सूरतों में बग़ैर वली के निकाह ही नहीं होता, जबकि बहुत सी सूरतों में मुनअक़िद हो जाता है, लेकिन बेहतर यही होता है कि अक़्द–ए–निकाह वली कराए, चुनान्चे हज़रब अबू मूसा अशअरी (रज़ि0) से रिवायत है कि नबी करीम (स0अ0व0) ने फ़रमाया: "वली के बग़ैर निकाह सही नहीं।" (अबूदाऊदः 2085, तिरमिज़ीः 1101)

वली के मानेः

वली के लुग़त में बहुत से माने बयान किये जाते हैं, यह लफ़्ज़ 'वली–यली–विलायतह' से मुश्तक़ है, जिसके एक माने बाअख़्तियार होने के भी होते हैं, बज़ाहिर जब विलायते निकाह के अल्फ़ाज़ बोले जाते हैं तो यही माने मुराद होते हैं, चूंकि वली को शादी कराने का अख़्तियार होता है, इसलिए इसको वली कहा गया।

(अलमअजुम वलवसीत)

जहां तक शरई माने का ताल्लुक़ है तो इससे मुराद वह वारिस है जो आक़िल व बालिग़ हो।

(शामीः 1/321)

विलायत के मानेः

विलायत के माने दूसरे पर अपनी बात को नाफ़िज़ करने के अख़्तियार के होते हैं, यह अख़्तियार वली को हासिल होता है और इस अख़्तियार की दो क़िस्मे हैं:

1. विलायत–ए–नदब व इस्तहबाब
2. विलायत–ए–अजबार

विलायत–ए–नदब व इस्तहबाब से मुराद वह विलायत है जो वली को आक़िला बालिग़ा लड़की पर हासिल होती है। यह लड़की वली के वास्ते के बग़ैर भी कुफ़ू में निकाह करे तो मुनअक़िद हो जाता है, लेकिन उसके लिए मुस्तहब यह है कि वली के वास्ते के बग़ैर निकाह न करे और वली पर लाज़िम है कि उसकी इजाज़त के बग़ैर निकाह न करे, इजाज़त के बग़ैर निकाह किया और लड़की ने इनकार कर दिया तो निकाह मुनअक़िद ही न होगा।

(शामीः 1/321, हिन्दियाः 1/287)

और विलायत चार असबाब में से किसी सबब के पाए जाने से साबित होती है, लेकिन मौजूदा दौर में उनमें से सिर्फ़ एक सबब पाया जाता है, तीन असबाब नहीं पाए जाते, वह असबाब मुन्दरजा ज़ेल हैं:

1. क़राबत
2. वला (जिससे वला का मुआहिदा किया हो, यह चीज़ अब नहीं पायी जाती)
3. इमामत (यानि सुल्तान या उसके नाइबीन को, यह सबब सिर्फ़ दारुल इस्लाम में पाया जा सकता है)
4. मिल्क (एक दूसरे का मालिक होना, यह सबब ग़ुलामी ख़त्म हो जाने के सबब अब नहीं पाया जाता)

विलायत की शर्तें:

विलायत हासिल होने के लिए ज़रूरी है कि वली आक़िल–बालिग़ आज़ाद मुसलमान हो, इसलिए मजनून, नाबालिग़ या ग़ैर मुस्लिम चाहे जितना क़रीबी रिश्तेदार हो वली नहीं बन सकता। (हिन्दियाः 1/284)

औलिया–ए–क़राबत की तरतीबः

हमने ऊपर अर्ज़ किया कि मौजूदा दौर में विलायत के असबाब में से सिर्फ़ एक सबब यानि क़राबत वाला सबब पाया जाता है और उसमें भी तरतीब यह है कि ऊपर यह तरतीब बिल्कुल वही है जो विरासत के मसले में असबा की होती है, यानि पहले नम्बर पर यह हक़ लड़के–पोते वग़ैरह को हासिल होता है, इसके बाद बाप–दादा वग़ैरह को, इसके बाद भाई–भतीजे वग़ैरह को, उसके बाद चचा वग़ैरह को। (हिन्दियाः 1/283)

विलायत–ए–अहबारः

विलायत–ए–अहबार का मतलब यह है कि किसी नाबालिग़ लड़के या लड़की या किसी मजनून या मजनूना का निकाह कराया जाए, उनका निकाह उनकी इजाज़त के बग़ैर औलिया करा सकते हैं और यह

निकाह नाफ़िज़ भी हो जाएगा, लेकिन बाप–दादा के अलावा कोई और वली निकाह कराए तो बालिग़ होने के बाद बच्चे को अपना निकाह काज़ी के यहां जाकर फ़स्ख़ करा लेने का अख़्तियार होगा। (शामीः 1/321)

वली अक़रब – वली अबअदः

ऊपर औलिया की जो तरतीब बताई गयी है, निकाह कराने का हक़ उसी तरतीब में साबित होता है और जब क़रीब वाला वली मौजूद हो तो बाद वाले को निकाह कराने का अख़्तियार नहीं होता, जैसेः एक मजनूना औरत का निकाह कराना है जिसका बेटा भी मौजूद है और बाप भी मौजूद है, तो लड़का वली अक़रब है और बाप वली अबअद, लिहाज़ा निकाह कराने का हक़ बेटे को ही हासिल होगा, लेकिन ऐसी सूरतेहाल में उसके लिए मुनासिब यही है कि बेटा अपनी विलायत का हक़ लड़की के बाप यानि अपने नाना को सौंप दे। (हिन्दियाः 1/283, शामीः 2/338)

वली अक़रब की मौजूदगी में वली अबअद का निकाह करानाः

अगर किसी नाबालिग़ का निकाह वली अक़रब जैसे बाप के होते हुए वली अबअद जैसे नाबालिग़ के भाई या चचा ने करा दिया तो यह निकाह वली अक़रब के निकाह पर मौक़ूफ़ होगा, अगर वह इजाज़त दे दे तो मुनअक़िद हो जाएगा वरना नहीं, अलबत्ता अगर अच्छा रिश्ता आया और वली अक़रब कहीं अलग है, जिसकी रज़ामन्दी हासिल करने के इन्तिज़ार करने पर यह रिश्ता निकल जाएगा, तो इस तरह की सूरते हाल में वली अबअद का कराया हुआ निकाह शरअन मोतबर होगा। (शामीः 2/339–340)

बराबर दर्जे के औलियाः

अगर किसी नाबालिग़ के दर्जे के दो या उससे ज़्यादा वली हों, जैसे दो चचा या दो भाई हों, तो उनमें से जो भी निकाह करा दे मुनअक़िद हो जाएगा और अगर दोनों ही अलग–अलग जगह निकाह कराएं तो जो पहले निकाह कराए उसका निकाह हो जाएगा, दूसरे का कराया हुआ निकाह बातिल होगा और अगर दोनों एक साथ अलग–अलग निकाह कराएं तो दोनों ही बातिल होंगे। (हिन्दियाः 1/284)

जब असबा न होंः

अगर किसी नाबालिग़ के अस्बात मौजूद न हों, लेकिन मां मौजूद हो तो निकाह कराने का अख़्तियार उसी को होगा, अगर मां भी न हो लेकिन दादी मौजूद हो तो दादी को अख़्तियार होगा, अगर दादी न हो तो नानी हो तो उसको अख़्तियार होगा। (हिन्दियाः 2/339)

ख़्याल–ए–बुलूग़ः

अगर नाबालिग़ का निकाह बाप–दादा के अलावा किसी और वली ने कराया हो तो बालिग़ होने के बाद नाबालिग़ को ख़्यारे बुलूग़ हासिल होगा, लेकिन इस ख़्यार के हासिल करने के लिए शर्त यह है कि अगर वह बाकिरा है तो जिस मजलिस में बालिग़ हुई है, उसी में नापसंदीदगी को ज़ाहिर कर दे, फिर दारुलक़ज़ा के ज़रिए निकाह फ़स्ख़ करा ले और अगर लड़का सैबा हो तो उसके लिए यह शर्त नहीं है जबकि वह सराहत से रज़ामन्दी का इज़हार न कर दें, उनको निकाह फ़स्ख़ कराने का अख़्तियार रहेगा और अगर बाप–दादा ने निकाह कराया हो तो ख़्यारे बुलूग़ के ज़रिए उसको फ़स्ख़ नहीं कराया जा सकता, इल्ला यह कि यह दोनों सूए अख़्तियार से मारूफ़ हों, यानि लड़की का निकाह किसी फ़ासिख़ या फ़ाजिर और बेजोड़ जगह करा दें।

(शामीः 2/330–337)

बालिग़ा का वली के बग़ैर निकाह करनाः

अगर कोई आक़िल–बालिग़ लड़की वली की इजाज़त के बग़ैर कुफ़ू में निकाह कर ले तो यह निकाह अहनाफ़ के नज़दीक मुनअक़िद हो जाएगा (अगरचे अइम्मा–ए–सलासा इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद के नज़दीक मुनअक़िद नहीं होगा) अलबत्ता अहनाफ़ के यहां भी मुस्तहिब यही है कि लड़की कुफ़ू में भी वली के ज़रिये निकाह कराए, इसलिए कि हदीस शरीफ़ में है कि वली के बग़ैर कराया निकाह बातिल होता है। (अबूदाऊदः 2083, तिरमिज़ीः 1102)

और अगर उसने ग़ैर कुफ़ू में निकाह किया (वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह आमतौर से ग़ैरकुफ़ू में होता है) तो निकाह तो हो जाएगा, लेकिन वली एतराज़ कर सकता है।

(हिन्दियाः 1/293, फ़िक़ एकेडमी के फ़ैसलेः 102)

क़तअ रहमी

मुहम्मद अमीन हसनी नदवी

अल्लाह तआला ने इन्सानों को जानवरों और क़बीलों में तक़सीम किया! (अल्लाह तआला फ़रमाता है: और हमने तुम्हें अलग–अलग क़ौमों और ख़ानदानों में इसलिए बांटा ताकि तुम एक दूसरे की पहचान कर सको) इन्सानी ज़िन्दगी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हर इन्सान किसी दूसरे इन्सान से जुड़ा हुआ है, यह जुड़ाव रिश्तों की वजह से भी होता है और काम की वजह से भी, लेकिन अगर इन्सान चाहे कि वह ताल्लुक़ात को ज़ाति फ़ायदे के लिए सिर्फ़ इस्तेमाल करे तो यह जाएज़ नहीं, मौजूदा हालात में क़तअ रहमी का मिज़ाज बन रहा है, इन्सान मां–बाप के साथ क़तअ रहमी करने लगा है, यह अफ़सोसनाक सूरतेहाल है और हदीस में आता है कि इसी कि तरफ़ इशारा है कि क़यामत से पहले यह होगा, पड़ोसी का पड़ोसी के साथ अच्छा रवैया न होगा, एक पड़ोसी दूसरे से तंग होगा।

इसी तरह हदीस में आता है कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी के तौर पर क़तअ रहमी का भी ज़िक्र आता है, हज़रत अबूहुरैरा (रज़ि0) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (स0अ0व0) ने फ़रमायाः

"क़यामत क़ायम नहीं होगी हत्ता कि बदकारी और बेहयाई ख़ूब फैल जाएगी, क़तअ रहमी आम होगी और हमसायगी बरी होगी।"

रसूलुल्लाह (स0अ0व0) ने फ़रमायाः "रिश्तेदारी तोड़ने वाला कभी जन्नत में दाख़िल नहीं होगा।"

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि0) से रिवायत है कि नबी करीम (स0अ0व0) ने फ़रमायाः सिला रहमी करने वाला वह नहीं जो किसी रिश्तेदार की नेकी के बदले नेकी करे, बल्कि सिला रहमी वह है जो क़तअ रहमी के बावजूद उसे मिलाए और सिला रहमी करे। (तिरमिज़ी)

इसी तरह एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी से क्या ताल्लुक़ होता है, उस पर क्या ज़िम्मेदारी आती है, क़ुरआन मजीद और हदीस शरीफ़ में साफ़–साफ़ इसका ज़िक्र मौजूद है और इस क़द्र ताकीद के साथ इसका बयान है कि रसूलुल्लाह (स0अ0व0) को ऐसा लगता था कि कहीं मीरास में पड़ोसी का हक़ न कर दिया जाए, लेकिन अफ़सोस की बात है कि आज हमारा मुआशरा इस क़द्र गंदगी की तरफ़ जा रहा है जिसमें न पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से महफ़ूज़ है और न और कोई, रसूलुल्लाह (स0अ0व0) ने जो बात इरशाद फ़रमाई उससे साफ़ मालूम होता है कि क़यामत के क़रीब यह सब होगा, क़ुरआन मजीद में बहुत सी जगहों पर पड़ोसी का हक़ बताया गया है, अल्लाह तआला का इरशाद है: "क़रीब वाले पड़ोसी और हमसायों के साथ अच्छा सुलूक करो।"

इसके अलावा और भी जगहों पर तज़किरा मिलता है जिसमें यह हुक्म दिया गया है कि पड़ोसी के साथ अच्छा सुलूक करो, इन्सान का सबसे ज़्यादा जिससे ताल्लुक़ पड़ता है वह अपने क़राबतदारों के बाद वह पड़ोसी है, पड़ोसी से उसका हर वक़्त का साथ है, सुबह व शाम का और इसीलिए उसकी अहमियत ज़्यादा बताई गयी है, अगर एक पड़ोसी दूसरे से अलग ज़िन्दगी गुज़ारे, उसके दुख–दर्द में शामिल न हो, उसकी परेशानियों को महसूस न करे, उसके साथ ख़ुशी में शामिल न हो तो यह न इस्लामी तरीक़ा है न ही इन्सानी, ज़िन्दगी में अस्ली ख़ुशी उसी वक़्त मिलती है जब एक–दूसरे के साथ अच्छा सुलूक किया जाए, तन्हाई की ज़िन्दगी में इन्सान बिल्कुल अकेला हो जाता है और सही माने में वह ख़ुशी भी उसको नहीं मिल पाती। रसूलुल्लाह (स0अ0व0) ने जिस तरह ताकीद के साथ यह बात इरशाद फ़रमाई और आपको सख़्त नागवारी होती थी।

फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप क़तर का

जुर्रतमन्दाना किरदार

मुहम्मद मक्की हसनी नदवी

क़तर एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है जिसका सरकारी मज़हब भी इस्लाम है। (CIA World Fact Book) के मुताबिक़ क़तर की 67.7 प्रतिशत आबादी मुसलमान है, 13.8 प्रतिशत ईसाई और इतने ही हिन्दू हैं, तीन प्रतिशत बुद्धिस्ट और बाक़ी दूसरे लोग हैं। रूस और ईरान के बाद क़तर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कुदरती गैस के साबितशुदा ज़ख़ीरे वाला मुल्क है, यही वजह है कि इसकी इक़्तिसादी हालत बहुत मज़बूत है, बर्तानिया से आज़ादी और क़तर के आईन को अक्सरियत के साथ मंज़ूरी मिलने के बाद इक्कीसवीं सदी में यह मुल्क आलमी सतह पर एक अहम ताक़त बनकर उभरा, इस मुल्क पर आले सानी की हुकूमत है और इसके मौजूदा हुक्मरान तमीम बिन हम्द सानी हैं जिनके जुर्रतमंदाना इक़्दामात अक्सर सुख़िर्यों में रहते हैं।

क़तर के खलीजी मोमालिक ख़ासकर सऊदी अरब से इख़्तिलाफ़ात और रंजिशों की तारीख़ क़दीमी है, एक दूसरे की बर्री, बहरी और फ़िज़ाई सरहदों पर पाबन्दी आएद करने और अपने सफ़ीरों को वापस बुलाने का मसला भी कोई नई बात नहीं है, दरअस्ल इस कशमकश की बुनियादी वजह क़तर के ईरान से मज़बूत सियासी रवाबित, तुर्की से फौजी इत्तिहाद, क़तर के अलजज़ीरा टेलीवीज़न की हक़ीक़तपसंदाना कवरेज और इस्लाम पसंद जमाअतों से ख़ुशगवार ताल्लुक़ात नीज़ ज़ुल्म व ज़्यादती का निशाना बनाए जाने वाले लोगों की पुश्तपनाही है, जिससे इस्राईलनवाज़ ताक़ते कभी ख़ुश नहीं हो सकतीं।

बैनुल अक़्वामी सतह पर एक तरफ़ वह मोमालिक हैं जो यहूदी शिकंजे में जकड़े हुए और एहसासे कमतरी का शिकार है, हत्ता कि ख़ुद मुख़्तार हुकूमतों और मआशी इस्तहकाम के बावजूद भी उनके लबों को जुम्बिश नहीं है और उनकी ज़बाने गूंगी हैं। वहीं दूसरी तरफ़ क़तरी हुकूमत है जिसकी इस्लाम पसंदी के मज़ाहिर बिलाशुब्हा पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए दिलचस्पी का मरकज़ बने हुए हैं।

यू तो क़तर की इस्लाम पसंदी, वक़्त–वक़्त पर फ़िलिस्तीनियों की हिमायत और इख़्वानियों की पुश्तपनाही से ज़ाहिर है, जिसने हमेशा अपने तमामतर माद्दी मफ़ादात को क़ुरबान किया और इस्लाम पसंद तन्ज़ीमों नीज़ मज़लूमों को पनाह दी, ख़ासकर आलमे इस्लाम की अज़ीम तरीन शख़्सियत अल्लामा यूसुफ़ क़रज़ावी (रह0) को जब क़तर की शोहरत हासिल हुई तो इसके मिस्र और तमाम ख़लीजी मोमालिक से राब्ते मुनक़तअ हो गए, अगरचे उन मोमालिक से फ़िलहाल ताल्लुक़ात ख़ुशगवार हो गए हैं, अलबत्ता सारे रवां फ़ीफ़ा वर्ल्डकप में क़तर के नुमायां और दिलचस्प किरदार ने सियासी आसमान पर चार चांद लगा दिये हैं।

फ़ीफ़ा' आलमी सतह पर फुटबाल का अहमतरीन मुक़ाबला है जो हर चार साल पर फ़ीफ़ा की मजलिसे इन्तिज़ामी के मशवरे से मुख़्तलिफ़ मोमालिक में मुनअक़िद होता है, ताहम इसके इनअक़ाद की मंजूरी कई साल पहले ही दे दी जाती है। 2018ई0 में यह वर्ल्डकप रूस में मुनअक़िद हुआ और उससे पहले ही 2010ई0 में तक़रीबन 22 अराकीन की राय के इत्तिफ़ाक़ के साथ क़तर को 2022 में फ़ीफ़ा वर्ल्डकप की मेज़बानी का सुनहरा मौक़ा हासिल हुआ था।

फ़ीफ़ा वर्ल्डकप के इन्अिक़ाद में क़तर ने इस्लामी क़दरों की भरपूर नुमाइन्दगी की, क़ाबिले ज़िक्र बात यह है कि जब फ़ीफ़ा वर्ल्डकप में ज़ाएरीन के लिए विज़िटिंग कार्ड की वेबसाइट खोली गयी तो उसमें तमाम मोमालिक की फ़ेहरिस्त मौजूद थी, लेकिन इस्राईल के नाम के बजाए मक़बूज़ा फ़िलिस्तीन या महज़ फ़िलिस्तीन का आप्शन मौजूद था, जो बिलाशुब्हा इस्राईल और इस्राईल नवाज़ ताक़तों के लिए एक खुला चैलेंज था।

फ़ीफ़ा वर्ल्डकप का इफ़्तेताह क़तर के एक मोटिवेशनल मुकर्रिर ताजिर और मारूफ़ हाफ़िज़े क़ुरआन ग़ानम अलमिफ़्ताह की तिलावत से हुआ, जिन्होंने मौक़े की नज़ाकत से क़ुरआन करीम की उन आयात का इन्तिख़ाब किया जो बिलाशुब्हा इफ़्तिताही तक़रीब में मौजूद तमाम अक़्वाम व मलल के लिए एक पैग़ाम थीं नीज़ इस दौरान जब नमाज़ का वक़्त हुआ तो तक़रीब को मौक़ूफ़ कर दिया गया। इसके अलावा क़तर ने खेल के दौरान स्टेडियम में शराब पर सख़्त पाबन्दी आयद की, इस मौक़े पर बाज़ क़तरी मुस्लिम ख़्वातीन ने हिजाब के तआरुफ़ की मुहिम भी शुरू की और अलजज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक़ इस मुहिम को ख़ूब पज़ीराई भी हासिल हुई,

अलावा अज़ीं इन्तिज़ामिया ने जगह–जगह ऐसी स्क्रीनें भी लगाईं जिनमें शराब की हुरमत, हिजाब की अहमियत और इस्लामी दावत से मुताल्लिक़ क़ुरानी आयात और इस्लामी हिदाया तनज़र आती रहीं। क़तरी हाकिम का कहना है कि इन चीज़ों की पासदारी से हमारा मक़सद आलमी सतह पर दावते इस्लाम की राहें हमवार करना है।

बिलाशुब्हा खेल की दुनिया में क़तर का यह मुनफ़रिद अंदाज़ यक़ीनन खेलों के कल्चर पर मुस्बत असर डालेगा, अक़वामे आलम के दरमियान मुन्तशिर इस्लामोफ़ोबिया में कमी आएगी और किसी हद तक इस्लाम का मुस्बत चेहरा सामने आएगा, ताहत इस बात से भी इनकार मुमकिन नहीं कि मादिदयत के तूफ़ाने बलाखेज़ में और सियासी मुनाफ़े व तक़ाज़ों के इस दौर में मुसलमानों के अन्दर से एहसासे कमतरी का निकलना और उन हुक्मरानों में जुर्रतमन्दी का पैदा होना अन्क़ा हो गया है, जिसकी वाज़ेह मिसाल इसी तारीख़ साज़ वर्ल्डकप की इख़्तितामी तक़रीब में क़तरी हुक्काम का वह तर्ज़े अमल है जो बिल्कुल उनकी शायाने शान न था, वाक़्या यह है फ़िल्मी अदाकारों और आलमी शोहरत याफ़्ता रक़्क़ासाओं को खुसूसी दावतें देना और उनके प्रोग्रामों की हौसलाअफ़ज़ाई करना मुस्लिम हुक्मरानों के अपने तहज़ीबी सरमाया पर अदमे एतमाद की अलामत है, इसलिए पूरी दुनिया के मुसलमान अभी भी मुन्तज़िर हैं एक ऐसी रियासत के जो शरीअत पर अमल के साथ वक़्त के तक़ाज़ों और ज़रूरतों को पूरा करती हो और अपने आदिलाना व मुन्सिफ़ाना निज़ाम से पूरी दुनिया के लिए एक नमूना बन सकती हो, और यह काई बईद अज़क़यास बात नहीं, बक़ौल मुफ़क्किरे इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी (रह0):

"मेरा यक़ीन है बयक वक़्त मौजूदा तमद्दुनी सहूलतों, जदीद आलात व ईजादात और साइंसी तरक़्क़ियात से इस्तिफ़ादा और इस्लामी तमद्दुन के हुस्न व सादगी, हक़ीक़त पसंदी, तहारत व नज़ाफ़त, और इस्लाम के अख़लाक़ी उसूलों और मुआशरती तालीमात का कारबन्द व पाबन्द रहना मुमकिन और क़ाबिले अमल है, मगर यह उस वक़्त मुमकिन है जब इस्लामी हुकूमतों और मुआशरों को आज़ादाना व मुजतहिदाना फ़िक्र व नज़र और जुर्रतमन्दाना मन्सूबाबन्दी की तौफ़ीक़ मिले और जब उनके अन्दर फ़रासते ईमानी, अस्लियत पसंदी, इस्लामी तालीमात व सक़ाफ़त और शख़्सियत की बरतरी पर ईमान हो।" (हिजाजे मुक़द्दस और जज़ीरतुल अरबः 75)

शेषः जुलक़रनैन का वाक़्या और इबरत का पहलू

..... वह इस दीवार पर चढ़ आएं या उसमें सूराख़ करके बाहर आ जाएं, ज़ाहिर बात है कि ऐसे मज़बूत क़िस्म के लोहे में सूराख़ करना कहां मुमकिन है।

जब याजूज–माजूज एक सैले रवां की तरह हर जानिब से उमडेंगे, तो उस वक़्त हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) का नुज़ूल हो चुका होगा, मगर वह अपने मुत्तबिईन के साथ याजूज–माजूज की सोरिश के सबब महसूर होकर रह जाएंगे, चुनान्चे वह लोग अल्लाह तआला से याजूज–माजूज के फ़ित्ने से निजात पाने के लिए गिड़गिड़ा कर दुआएं करेंगे, फिर अल्लाह ऐसी वहशी क़ौम का एक मामूली कीड़े के ज़रिये ख़ात्मा कर देगा, जो अपनेआप में यह पैग़ाम है कि अस्ल करने वाली ज़ात अल्लाह की है और उसकी ताक़त के सामने सब हैच हैं, वह अपनी जिस मख़लूक़ से चाहे बड़े–बड़े काम लेने पर क़ादिर है।

याजूज–माजूज एक वहशी क़ौम थी, जो दुनिया को बहुत परेशान कर रही थी और उसने लूट–मार मचा रखी थी, क़ुरआन मजीद में याजूज–माजूज का क़िस्सा बयान करने की वजह यही है कि जब इन्सान महज़ अपनी ताक़त और वसाएल पर इन्हिसार करता है तो वह दुनिया में फ़साद फैलाता है, यहां तक कि पूरा निज़ाम बिल्कुल उलट–पुलट हो जाता है और यह उस वक़्त होता है जब आदमी अल्लाह तआला के हुक्मों के मुताबिक़ न चले, बल्कि सिर्फ़ दुनिया के तक़ाज़ों और मसाएल पर चले और दुनियावी तक़ाज़ों और मसाएल पर चलने का मसला यह है कि अगर ख़ौफ़े ख़ुदा न हो तो अल्लाह तआला ने दुनिया में ऐसे वसाएल पैदा किये हैं जो बाज़ मर्तबा बड़ी तबाही ला सकते हैं, जैसेः एटम बम है जिसको पढ़े–लिखे लोगों ने बनाया है, वह बम इन्सानों को तबाह करने के लिए काफ़ी है, यही वह बम थे जो हीरोशिमा व नागासाकी पर डालकर लाखों आदमियों को एक सेकेन्ड में ख़त्म कर दिया गया, जिनका जुर्म सिर्फ़ यह था कि वह अपनी ज़मीन पर ग़ासिबों का क़ब्ज़ा नहीं होने दे रहे थे, बल्कि अपने मुल्क की तरफ़ से दिफ़ाअ कर रहे थे, लेकिन ताक़त का इस्तेमाल किया गया और दो शहरों को आन की आन में तबाह कर दिया गया, ज़ाहिर है कि इन्सानों ने यह सब तबाही उन वसाएल से की जो अल्लाह तआला ने दिये हैं या उन ताक़तों के बलबूते पर की जो अल्लाह की तरफ़ से हासिल हुई हैं, जबकि उसने यह ताक़त तबाही मचाने के लिए नहीं दी थी, बल्कि इन्सानों को आज़माने के लिए दी थी।

मौलाना अली मियाँ (रह0) का तारीख़ी ज़ौक़

मुहम्मद अरमुग़ान बदायूंनी नदवी

"शेख़ अबुल हसन अली नदवी (रह0) तारीख़ के रम्ज़ शनास और उसकी गहराई व गीराई से वाक़िफ़ थे, जिन्होंने उसके ज़रिए उम्मत के शऊर को बेदार किया और अक़वाम–ए–आलम में उसकी क़द्र व क़ीमत से रोशनास कराया।" (अल्लामा यूसुफ़ क़रज़ावी रह0)

मुफ़क्किर–ए–इस्लाम हज़रत मौलाना सैय्यद अबुल हसन अली नदवी (रह0) को फ़न्ने तारीख़ से तबई दिलचस्पी थी, तारीख़ के मौज़ूअ के मुतअद्दिद शोहर आफ़ाक़ तसानीफ़ उनके वालिद माजिद और जद्दे अमजद के अशहब क़लम से लिखी हुई थीं, गोया तारीख़ आपके लिए एक ख़ानदानी मौज़ूअ था, आपके ख़ानदानी ज़ख़ीरा–ए–कुतुब में वक़ीअ और अहम तारीख़ी मवाद मौजूद था, जिसको आपने बचपन से देखा और मुताला किया था, इसका नतीजा था कि ग़फ़वाने शबाब ही से इस्लामी व दीनी तारीख़ से आपको तबई उन्स पैदा हो गया था, "कारवान–ए–ज़िन्दगी" में एक जगह हज़रत मौलाना (रह0) रक़म तराज़ हैं:

"इन किताबों के उठाने रखने और वरक़ गरदानी से मेरी वाक़िफ़ियत आम्मा में भी इज़ाफ़ा हुआ और ख़ानदानी ज़ौक़ और इस्लाफ़ की ख़िदमाते दीनी व इल्मी से भी शनासाई हुई, मतबूआत में तारीख़े हिन्द व तराजिम उलमा और तज़किरे के सवानेह का बड़ा ज़ख़ीरा था, इसलिए कि वालिदा साहब को "नज़हतुल ख़वातिर" की तालीफ़ के सिलसिले में उनकी ज़रूरत पड़ती रहती थी और जो लोग उनकी इस मशग़ूलियत से वाक़िफ़ थे, वह ऐसी किताबें उनको भेजते रहते थे, जिनसे उनके असलाफ़ का तज़किरा महफ़ूज़ और किताब में शामिल हो जाए, उन किताबों पर सरसरी नज़र डालने से भी मुझे बहुत नफ़ा हुआ और हिन्दुस्तान की इस्लामी व दीनी तारीख़ से ज़ौक़ व शोग़फ़ पैदा हो गया जो बाद में बहुत काम आया।"

(कारवान–ए–ज़िन्दगी: 1/114)

हज़रत मौलाना (रह0) की एक इम्तियाज़ी ख़ासियत यह थी कि उन्होंने तारीख़े इस्लाम और अक़वाम व मलल की तारीख़ का मुताला कुरआन मजीद की रोशनी में किया था और वह तारीख़ को कुरआन मजीद की तफ़सीर मानते थे, वह लिखते हैं: "मैं तारीख़ को कुरआन मजीद ही की तफ़सीर समझता हूं।" (दावत–ए–फ़िक्र व अमल: 189)

हज़रत मौलाना (रह0) ने तारीख़–ए–इस्लाम और क़ौमों के उरूज व ज़वाल का गहरा मुताला किया था और इस सिलसिले में वह किसी रिवायती तर्ज़े फ़िक्र के हामिल न थे, बल्कि आम मुअर्रिख़ीन व मुहक्किक़ीन के मिज़ाज व मज़ाज के मुख़्तलिफ़ उस्लूब के दाई थे, बिलख़ुसूस वह मुसलमानों को इन्क़िलाबात के ज़माने का तख़्ता–ए–मश्क़ समझते या उन्हें तारीख़ में आमिल के बजाए मअमूल समझने के बिल्कुल रवादार न थे, यही वजह है कि सबसे पहले हज़रत मौलाना (रह0) ने ही मुनज़्ज़म इल्मी व तारीख़ी अंदाज़ से नीज़ तारीख़ का कुरआन मजीद की रोशनी में मुताला करने के बाद यह हुज्जत क़ायम की कि तक़दीरे इन्सानी मुसलमानों के उरूज व ज़वाल से वाबस्ता है और उनका क़ायदाना किरदार आलमे इन्सानियत की सआदत का ज़ामिन है। उनका मानना था कि क़ौमों और सल्तनतों के सतरे बेमहार होने या इल्मी व सिनअती तरक़्क़ियात का बाइस हलाकत होने का बुनियादी सबब यही है कि मुसलमान मन्सबे क़यादत से दूर हो गए, जो बिलाशुब्हा कोई क़ौमी या मक़ामी हादसा नहीं बल्कि इन्सानी दुनिया के लिए एक अज़ीम सानिहा है।

"बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुसलमानों के ज़वाल को एक क़ौमी हादिसा और मक़ामी वाक़्या समझते हैं और उनको मुतलक़न इसका एहसास नहीं है कि यह कितना बड़ा आलमगीर सानिहा और इन्सानियत की कैसी बड़ी बदक़िस्मती थी, वाक़्या यह है कि इस हक़ीक़त को नज़रअंदाज़ करके हम न इस्लामी तारीख़ को समझ सकते हैं, न इन्सानी तारीख़ को, न इस दौर की सही तश्ख़ीस कर सकते हैं जो अभी दुनिया में क़ायम है, न

इस आलमगीर इन्क़िलाब के सही असबाब मुअय्यन कर सकते हैं जो दुनिया की तारीख़ में रौनुमा हुआ। (इन्सानी दुनिया पर मुसलमानों के उरूज व ज़वाल का असरः 16)

तारीख़–ए–इस्लाम और अक़वाम–ए–आलम की तारीख़ के वाक़्यात व हालात का तजज़िया करना तारीख़ी ज़ौक़ का बुनियादी उन्सुर है, वह जिस दौर की इल्मी, तमद्दुनी या इस्लाही व तजदीदी तारीख़ पर ख़ामा फ़रसाई करते तो इस दौर के वाक़्यात व हक़ाएक़ की ऐसी तहलील और तजज़िया करते कि गोया वह ज़हनी व फ़िक्री लिहाज़ से इसी दौर में सांस ले रहे हों, उनकी शोहर आफ़ाक़ तस्नीफ़ "तारीख़ दावत व अज़ीमत" इस हक़ीक़त की मुंह बोलती तस्वीर है, जिसमें हज़रत मौलाना (रह0) ने इस्लाम की तारीख़ इस्लाह व तजदीद का अज़ अव्वल ता आख़िर तक रब्त व तसलसुल बयान किया है और उन मोअर्रिख़ीन को सदाक़त पसंदी का आईना दिखाया है जो इस सिलसिले में ग़लत ताबीर व तर्जुमानी का शिकार थे, हज़रत मौलाना (रह0) को इस किताब की तस्नीफ़ में एक क़ौमी मुहर्रिक यही दाइया था कि तारीख़े इस्लाम के नाम पर लिखी गयी तस्नीफ़ात वाक़्यात की फ़ेहरिस्त या तराजिम व तज़किरे के सिवा कुछ नहीं थीं और न ही उनमें मुसलमानों के किसी फ़िक्री और इस्लाही तारीख़ का बयान था। यही वजह है कि हज़रत मौलाना (रह0) ने तारीख़ नवीसी का मुजतहिद्दाना तरीक़ा अख़्तियार किया और हर दौर की नुमायां शख़्सियात के हालात इस तरह क़लमबन्द किये कि उनके ज़िम्न में मुसलमानों की फ़िक्री व इल्मी इन्हितात व इरतिक़ा की तारीख़ भी रक़म हो गयी।

इस तारीख़ी तस्नीफ़ का मक़सद बयान करते हुए आप लिखते हैंः "हमें इस्लाम की तेरह सौ बरस की तारीख़ में इस्लाह व इन्क़िलाबे हाल की कोशिशों के तसलसुल को दिखाना है और मुमताज़ शख़्सियतों और तहरीकों की निशानदेही करनी है, जिन्होंने अपने–अपने वक़्त में अपनी–अपनी सलाहियतों के मुताबिक़ दीन के अहया और तजदीद और इस्लाम और मुसलमानों की हिफ़ाज़त के काम में हिस्सा लिया है और जिनकी मजमूई कोशिशों से इस्लाम ज़िन्दा और महफ़ूज़ शक्ल में इस वक़्त मौजूद है और मुसलमान इस वक़्त एक मुमताज़ उम्मत की हैसियत से नज़र आते हैं।"

(तारीख़ दावत व अज़ीमतः 1/13)

हज़रत मौलाना (रह0) के तारीख़ के गहरे मुताले और इल्मी तजज़िये का आला शाहकार उनकी मारूफ़ व मक़बूल तस्नीफ़ "मुस्लिम मोमालिक में इस्लामियत व मग़्रिबियत की कशमकश" भी है, बिलाशुब्हा यह किताब हालाते ज़माना से उनकी वाक़िफ़ियत की खुली दलील है, जिसमें आपने मुस्लिम मोमालिक का हक़ीक़त पसंदाना इल्मी व तारीख़ी जाएज़ा लिया है और उन्होंने यह बेलाग उसूल बताया है कि इस्लामी मुआशरे के लिए मुतअय्यन व मख़सूस अक़ाएद और नज़रियात से तजाउज़ करना किसी सूरत दुरुस्त नहीं, नीज़ दुनिया की क़यादत व अमामत की अमामे कार भी इसी समाज के हाथ में होना ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए सही और मोतदिल राह को अख़्तियार करने की ज़रूरत है।

मुस्लिम मोमालिक के इस मसले में हज़रत मौलाना (रह0) लिख़ते हैः "आज तमाम मुस्लिम मोमालिक को ख़ासकर नए आज़ाद होने वाले इस्लामी मोमालिक सबसे ज़्यादा इसी मुख़्लिसाना मशवरे की ज़रूरत है, इस सिलसिले में ज़रा सी ग़लती और थोड़ी सी बेएतदाली उनको कहीं से कहीं ले जा सकती है।"

(इस्लामियत व मग़्रिबियत की कशमकशः 13)

"सीरत सैय्यद अहमद शहीद" भी हज़रत मौलाना के तारीख़ी ज़ौक़ की एक सुनहरी कड़ी है, जो उन्हें एक कामयाब मुअर्रिख़ और मुमताज़ मुसन्निफ़ीन की सफ़ में खड़ा करती है, इस किताब में भी मुसन्निफ़ ने महज़ सवानेह निगारी और वाक़्यात व करामात की फ़ेहरिस्त बयान करने पर इक्तिफ़ा नहीं किया है, बल्कि उसे भी एक क़ाबिले तक़लीद उसूल में ढालकर पेश किया है, इस तस्नीफ़ का तआरूफ़ ख़ुद हज़रत मौलाना (रह0) की ज़बानी यूं हैः "इसने न मश्रिक़ी सवानेहनिगारों की तरह रंगआमेज़ी और मुबालग़ा आराई से काम लिया है और न मग़्रिबी मोअर्रिख़ीन की तक़लीद में ख़्वामख़्वाह किताब को बेरूह और बेअसर बनाने की कोशिश की है, न ज़माने के सांचे में ढालने की सई की है और न किसी ख़्वाहिश व तख़्य्युल के मातहत तारीख़साज़ी का इरादा किया है।" (सीरत सैय्यद अहमद शहीदः 1/30)

हज़रत मौलाना (रह0) ने तारीख़ का ऐसा मुताला किया था कि उनकी तमाम तहरीरों व तक़रीरों में इसका साफ़ असर महसूस होता है। हज़रत मौलाना अली मियां नदवी (रह0) फ़न्ने तारीख़ पर अपने क़लम की जौलानी के मुताल्लिक़ एक जगह ख़ुद यह अल्फ़ाज़ फ़रमाते हैंः

"मैं तारीख़ लिखता रहा हूं, मेरे शऊर और तस्नीफ़ व तालीफ़ की उम्र ज़्यादातर इसी कूचे में गुज़री है।"

(उलमा का मक़ाम और उनकी ज़िम्मेदारियांः 74)

यनिफ़ार्म सिविल कोड - देश की एकता के लिए ख़तरा

मुहम्मद नफ़ीस ख़ाँ नदवी

एकसमान नागरिक कानून (Uniform Civil Code) से मुराद वो समाजी और पारिवारिक कानून हैं जो किसी भी विशेष भू भाग पर आबाद लोगों के लिए बनाए गयें हों। उन कानूनों मे हर व्यक्ति के निजी और ख़ानदानी मामले भी शामिल हैं। इन कानूनों को लागू करने में किसी व्यक्ति के धर्म या सभ्यता या रस्म व रिवाज का ख्याल नही किया जाता बल्कि इन चीज़ों से बिल्कुल अलग होकर धर्म के मानने वालों को एक समान नागरिक कानून (Uniform Civil Code) का पाबन्द होने पर मजबूर किया जाता है। जिसके अन्तर्गत वो सारे कार्य आ जाते हैं जिनका संबंध पर्सनल लॉ से होता है।

डॉ बी. आर. अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण करते हुए कहा था कि समाज में कमज़ोर वर्गों के विरुद्ध भेदभाव को दूर करने और देशभर में विभिन्न सांस्कृतिक वर्गों को परस्पर एक करने के लिए समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) वांछित है लेकिन इस समय इसे स्वैच्छिक रहना चाहिए और यह उसी समय लागू हो सकेगा जब देश इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएगा। इस प्रकार समान नागरिक संहिता को भारत के संविधान में 'डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन दि इन्डियन कान्सटिट्यूशन' के अन्तर्गत धारा 44 में इस तौर पर वर्णित किया गया है कि भारत गणराज्य के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को सुरक्षित बनाने का प्रयास करेगा।

डॉ अम्बेडकर ने संविधान सभा (Constituent Assembly) में भाषण देते हुए कहा था कि किसी को इस बात से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर राज्य के पास शक्ति है तो राज्य तुरन्त इस पर कार्यवाही करेगा, मेरे विचार में सरकार की ओर से इस पर ज़ोर नहीं दिया जाना चाहिए।

समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) की मांग का आरम्भ नवआबादियाती भारत से हुई थी जब अंग्रेज़ी हुकूमत ने 1835ई0 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें अपराध, गवाही तथा संधियों से संबंधित भारतीय क़ानून के निर्माण में समानता की मांग पर ज़ोर दिया गया था, इस तरह यह समस्या एक सदी से अधिक समय से राजनीतिक विमर्श तथा चर्चा का केन्द्र रहा है तथा भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए एक तरजीही एजेण्डा है जो पार्ल्यामेंट में क़ानून बनने के लिए ज़ोर दे रही है और उसने सत्ता में आने पर समान नागरिक संहिता के लागू करने का वादा किया था और यह मामला उसके 2019 के लोकसभा के चुनावी घोषणापत्र का हिस्सा भी था।

भारत मे एकसमान नागरिक क़ानून के लागू करने का मतलब हर धर्म के मानने वालों को और विशेषतः मुसलमानों को अपने पर्सनल लॉ को छोड़ देना है, और ऐसे कानूनों का पाबन्द होना है जो पश्चिमी सोच के ढ़ांचे में ढ़लकर तैयार हुआ हो और जिसे "हिन्दु कोड" के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जब शासन के लिए इसको लागू करना आसान होगा तो वो वर्तमान हिन्दुकोड को ही एकसमान नागरिक कानून का नाम दे देगी जिसका आधार वास्तव में हिन्दु धर्म की शिक्षा नही अपितु पश्चिमी दृष्टिकोण हैं।

एकसमान नागरिक कानून के द्वारा मुसलमानों के क़ौमी पहचान और दीनी पहचान को समाप्त करने की एक कोशिश है। स्पेशल मैरिज ऐक्ट (Special Marriage Act) और इण्डियन सेक्शन ऐक्ट (Indian Section Act) के द्वारा इसको अच्छी तरह समझा जा सकता है। इसके अन्तर्गत सर्वधर्म शादियां हो सकतीं हैं। मैरिज ऐक्ट के तहत शादी करने वाले विरासत के अधिकार से वंचित रहेंगे। इसी प्रकार शादी के तीन साल बाद तक मियां बीवी में अलगाव की कोई सम्भावना

नही। तलाक़ का हक़ केवल मर्द को नही बल्कि मर्द और औरत में से जो भी तलाक़ लेना चाहे तो वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाकर वो अपनी मांग को सही साबित करके अलग हो सकता है।

इसी प्रकार इण्डियन सेक्शन ऐक्ट की पहली दफ़ा के अनुसार हर व्यक्ति को वसीयत करने का अधिकार प्राप्त है। वो चाहे जिसके लिए वसीयत करे और चाहे जितनी मात्रा के लिए करे, इसके अतिरिक्त मरने वाले की मां, बीवी और बेटा और बेटी सबको समान अधिकार दिया जाएगा। ये और इस तरह के बहुत से क़ानून हैं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के बिल्कुल विपरीत हैं। इसलिए एकसमान नागरिक क़ानून का मतलब मुसलमानों के पर्सनल र्ला में सीधे दख़ल देना है। और इन क़ानूनों के कुबूल करने की मांग करना न केवल ये कि धार्मिक स्वतन्त्रता पर रोक है बल्कि अक़ीदा व ज़मीर की आज़ादी से भी वंचित करने का विचार है। और वास्तव में देश के वास्तविक गणतन्त्र को बिगाड़ने और धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बिगाड़ने की एक नापाक साज़िश है। एक लम्बे समय से देश का एक वर्ग जिसमें बड़ी संख्या हिन्दुओं की है और कुछ मुसलमानों की इसे लागू करने के लिए जेहन बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। कुछ लोग ताकत के जोर पर इसे लागू करने का मश्वरा देते हैं, कुछ इस्लाह के नाम पर इसको लागू करने में आसानी पैदा कर रहे हैं। और कुछ हालात का तकाज़ा बताकर इसको लागू करने की सिफ़ारिश कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनका ज़मीर व ख़मीर पश्चिमी विचार मे ढला हुआ है। पश्चिम से अलग होकर न उनके पास कोई दावत है, न कोई संदेश है, और न कोई शिक्षा। जिस प्रकार वहां धर्म को एक प्राइवेट (Private) मामला समझ लिया गया है और उसकी दायरा इबादतों और कुछ रस्मों तक महदूद कर दिया गया है। इसी प्रकार भारत में भी एकसमान नागरिक क़ानून को लागू करके पूरी आबादी को पश्चिमी धारे मे बहाने का प्रयास किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त एकसमान नागरिक कानून की सिफ़ारिश का एक आधारभूत कारण इस देश का वो महत्वपूर्ण कानून है जो 1954ई0 और 1956ई0 के बीच स्वीकृत किया गया, जिसके परिणाम मे हिन्दु पर्सनल लॉ समाप्त हुआ और उसकी जगह और उसकी जगह पश्चिम से लिया गया पर्सनल लॉ लागू किया गया। उस समय ये फ़िज़ा बनाई गयी कि जिस प्रकार हिन्दु पर्सनल लॉ समाप्त किया गया है उसी प्रकार मुस्लिम पर्सनल लॉ भी समाप्त किया जाए। आइये इस सिलसिले मे दी गयी दलीलों का एक सरसरी निरीक्षण करते है:

(1) भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 44 की मांग है कि शासन ये प्रयास करे कि देश मे एकसमान नागरिक कानून लागू हो:

"The state shall endeavour to secure for citizens a uniform civil code throughout the territory of India."

लेकिन जिस प्रकार धारा 44 की ये मांग है कि देश मे एकसमान नागरिक कानून लागू हो उसी प्रकार धारा 25 कहती है कि देश के हर व्यक्ति को किसी भी धर्म के स्वीकारने, उस पर कार्यरत होने और उसके प्रचार करने का पूरा अधिकार प्राप्त है।

"Subjects to public order, morality and health and to the other provisions of this part, all persons are equally entitled to the freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion."

ये धारा आम नागरिक के "मौलिक अधिकार" से संबंधित है जबकि धारा 44 का संबंध "मार्गदर्शक नियम" से है। और ध्यान रहे कि "मौलिक अधिकार" की धारांए "मार्गदर्शक नियम" से अधिक महत्वपूर्ण हैं। अतः धर्म की स्वतन्त्रता के साथ एकसमान नागरिक कानून का लागू होना किसी भी दशा मे सम्भव नहीं है।

(2) भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है इसके लिए आवश्यक है कि यहां के कानून धार्मिक पाबन्दियों से स्वतन्त्र हों।

बिना किसी शक भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है लेकिन धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये नही है कि देश से धार्मिक स्वतन्त्रता और समाज से धार्मिक रीति रिवाजों को हटा दिया जाए। बल्कि इसका अर्थ ये है कि शासन का न कोई धर्म होगा और न वो किसी धर्म की तरफ़दारी करेगा और न ही किसी के साथ किसी धर्म के मानने या

न मानने के कारण से कोई पक्षपात किया जाएगा। धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ यही है और इसी अर्थ के अन्तर्गत देश के कानून बनाए गये हैं। इसके बाद ये सवाल ही नही उठता कि "एकसमान नागरिक अधिकार" धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता हैं।

(3) धार्मिक कानून पुराने हो चुके हैं, अब वो जमाने की आवश्यकताओं का साथ नही दे सकते हैं।

यह सही है कि धार्मिक कानून पुराने हैं लेकिन इसका ये मतलब नही है कि वो बेकार व व्यर्थ हैं, और उनक लाभ खत्म हो चुका है। कोई चीज़ केवल पुरानी होने की वजह से बेकार नही होती और न हर नई चीज़ इसलिए अच्छी हो सकती है कि वो नई है। बल्कि उसकी हक़ीक़त और उसके लाभ का इन्साफ़ के साथ जाएज़ा लिया जाना चाहिए। ये देखना चाहिए कि उसके कानून समाज को सन्तोषजनक आधार पर स्थिर रखने और उन्नति देने की योग्यता रखते हैं कि नही? इसी तरह उन कानूनों का भी निरीक्षण किया जाना चाहिए जो "नये कानून" के नाम से पेश किये जा रहे हैं और ये वास्तविकता है कि "एकसमान नागरिक अधिकार" का आधार पश्चिम के पर्सनल और निजी कानून हैं। इसलिए पहले आवश्यक है कि जिन क़ानून को भारत मे लागू करने की जद्दोजहद की जा रही है उसका निरीक्षण उन देशों मे किया जाए जहां वो लागू हैं। और ये बात जगजाहिर है कि पश्चिम की समाजी और पारिवारिक ज़िन्दगी की तीलियां टूट टूट कर बिखर रही हैं। और व्यक्तिगत जीवन का सुकून व विश्वास विदा हो चुका है। वहां पर किसी व्यक्ति का अपने वैवाहिक जीवन सफल होना किसी हैरतअन्गेज़ कारनामे से कम नहीं।

इसके अतिरिक्त धार्मिक कानून के दो भाग हैं एक भाग आधारभूत और नियमित है जिसमें किसी प्रकार के बदलाव की संभावना नही है। और दूसरा भाग वो है जो समय की आवश्यकताओं के अनुसार बदलता रहता है। अतः ये कहना कि धर्म समय की आवश्यकताओं को पूरा नही कर सकता सर्वथा व्यर्थ है।

(4) देश मे क़ौमी एकता को बढ़ाने और एकता को मज़बूत बुनियादों पर स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि देश मे एकसमान नागरिक कानून लागू किये जांए, क्योंकि विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत कानून बिखराव का ज़रिया बनते हैं।

क़ौमी एकता का नारा अवश्य आकर्षक है लेकिन ये समझना कि एकसमान नागरिक कानून के द्वारा इसके लिए राह आसान हो सकती हैं केवल एक ग़लतफ़हमी है। क्योंकि अगर पारिवारिक कानून की समानता ही क़ौमी एकता पैदा कर सकती तो पंजाब प्रदेश मे सिख और हिन्दु एक लम्बे समय तक आपस मे झगड़ते न रहते। आसाम मे खून न बहता रहता। बंगाल मे मानवता की धज्जियां न उड़ाई जाती और बंग्लादेश नक़्शे पर न आता। ब्रिटेन और जर्मनी में खून की नदियां न बहतीं, और दो "विश्व युद्ध" से मानवता का दामन तार तार न होता। जबकि इन देशों की पारिवाकिरक व्यवस्था एक बल्कि उनका धर्म भी एक है। तो अगर पर्सनल लॉ की समानता कौमी एकता और विभिन्न वर्गों के बीच समानता को बढ़ावा देने मे प्रभावित होती तो मानवता का इतिहास आज कुछ और ही होता।

क़ौमी एकता और विभिन्न वर्गों के बीच समानता का एक बेहतरीन नुस्ख़ा दो वर्गों के मध्य शादी को कहा जाता है लेकिन ये दावा करते समय ये भुला दिया जाता है कि आये दिन ऐसी शादियों के टूटने और खानदान के बिखरने के वाक़्ये समाज मे प्रकट हो रहे हैं। इसके अलावा इस बात को भी भुला दिया जाता है कि इस नुस्ख़े पर एक ऐसी शख़्सियत ने अमल किया था जिसे फ़िरक़ा परस्ती की अलामत और देश की एकता को समाप्त करने वाला और देश के बंटवारे का ज़िम्मेदार घोषित कर दिया जाता है। मिस्टर मुहम्मद अली जिनाह ने एक पारसी घराने मे शादी की थी और स्पेशल मैरिज ऐक्ट के तहत की थी, मगर इससे क़ौमी एकता को कितना बढ़ावा मिला उसे सब जानते हैं। इसलिए एकसमान नागरिक कानून को लागू करने की कोशिश मानो देश की सबसे बड़े अल्पसंख्यक की धार्मिक स्वतन्त्रता पर कैद है जिसका आवश्यक परिणाम न केवल देश की सलामती बल्कि उसके भविष्य के लिये भी ख़तरा है!!

जम्हूरियत की हक़ीक़त

शेख़ुल इस्लाम अल्लामा मुफ़्ती मुहम्मद तक़ी उस्मानी

"इन्सानी हुक़ूक़ (मानवाधिकार) की एक मांग यह है कि अक्सरियत की हुकूमत होनी चाहिए, जम्हूरियत, सेक्यूलर डेमोक्रेसी, आज अमरीका की एक किताब दुनिया भर में मशहूर हो रही है (जीम म्दक वभ्पिेजवतल ंदक जीम स्ंज डंद) आजकल के सारे पढ़े–लिखे लोगों में मक़बूल हो रही है। उसका सारा फ़लसफ़ा यह है कि इन्सान की हिस्ट्री का ख़ात्मा जम्हूरियत (लोकतन्त्र) के ऊपर हो गया और अब इन्सानियत के उरूज व फ़लाह के लिए कोई नज़रिया वजूद में नहीं आएगा, यानि ख़त्मे नुबूव्वत पर हम और आप यक़ीन रखते हैं, अब यह "ख़त्म–ए–नज़रियात" हो गया, यह कि डेमोक्रेसी के बाद कोई नज़रिया इन्सानी फ़लाह का वजूद में आने वाला नहीं है।

एक तरफ़ तो यह नारा है कि अक्सरियत जो बात कह दे वह हक़ है, उसको क़ुबूल करो, उसकी बात मानो, उसको आज़ादी–ए–इज़हारे राय होनी चाहिए, लोगों को हक़े ख़ुदइरादी मिलना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ़ लोगों के हक़े ख़ुदइरादी पामाल करके उनको जब्र व तश्दुद (हिंसा) की चक्की में पीसा जाता है, उनके बारे में आवाज़ उठाते हुए ज़बानें थर्राती हैं और वही जम्हूरियत और आज़ादी की मुनादी करने वाले उनके ख़िलाफ़ कार्यवाहियां करते हैं।

आज कहने को तो मानवाधिकार के बड़े शानदार चार्टर छपकर दुनिया भर में बांट दिये गए कि यह मानवाहिधकार चार्टर हैं, लेकिन इन चार्टरों के बनाने वाले अपने मफ़ादात (निजी लाभ) की ख़ातिर मुसाफ़िरों से भरा हुआ जहाज़' जिसमें बेगुनाह लोग सफ़र कर रहे हैं' उसको गिरा दें, इसमें उनको कोई बाक नहीं होता, ह्यूमन राइट्स उसी जगह पर मजरूह होते नज़र आते हैं जहां अपने मफ़ादात पर कोई ज़द न पड़ती हो और जहां अपने मफ़ादात के ख़िलाफ़ हो तो वहां मानवाधिकार की कोई सोच नहीं आती।

सरकार–ए–दो आलम (स0अ0व0) ऐसे ह्यूमन राइट्स के क़ायल नहीं हैं। याद रखिए! हमारे यहां तो इस्लाम ने फ़लाहे हक़ दिया है और उस काम के लिए क़ुरआन और सुन्नत को तोड़–मरोड़ कर किसी न किसी तरह उनकी मर्ज़ी के मुताबिक़ बनाने की कोशिश करते हैं, याद रखिए!

"और यहूदी और ईसाई आपसे उस वक़्त तक ख़ुश हो ही नहीं सकते जब तक उनके मज़हब की पैरवी न कर लें, आप बता दीजिए कि अल्लाह की बताई राह ही अस्ल राह है।" (अलक़ुरआन)

लिहाज़ा जब तक आप इस पर नहीं आओगे कि कितना ही कोई एतराज़ करे, लेकिन हिदायत तो वही है जो अल्लाह तआला ने अता फ़रमाई, जो मुहम्मद (स0अ0व0) लेकर आए, उस वक़्त तक कामयाब नहीं हो सकते, लिहाज़ा कभी उन नारों से मरऊब और मग़लूब (प्रभावित व अधीन) न हों, अल्लाह तआला हमें इसकी तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन!"

R.N.I. No.
UPHIN/2009/30527

Monthly
ARAFAT KIRAN
Raebareli

Issue: 01 | January 2023 | Volume: 15

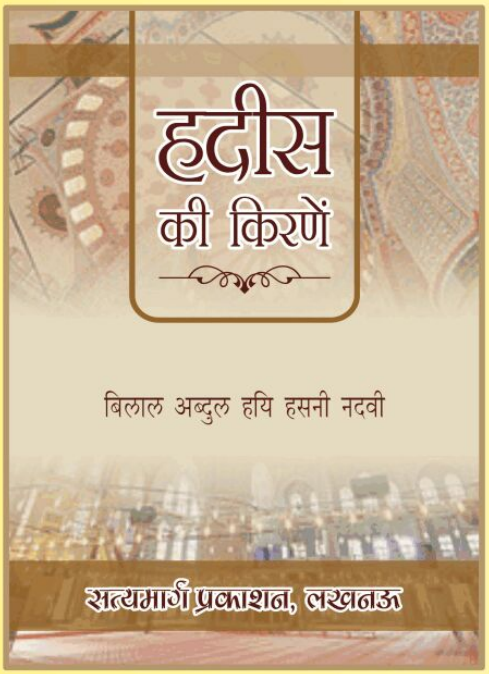

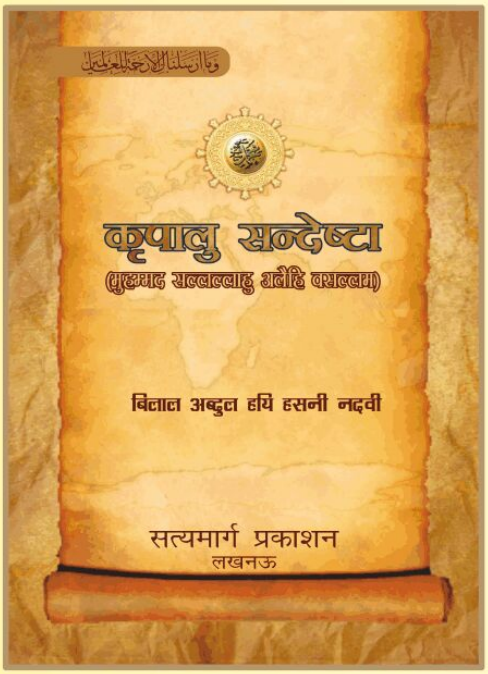

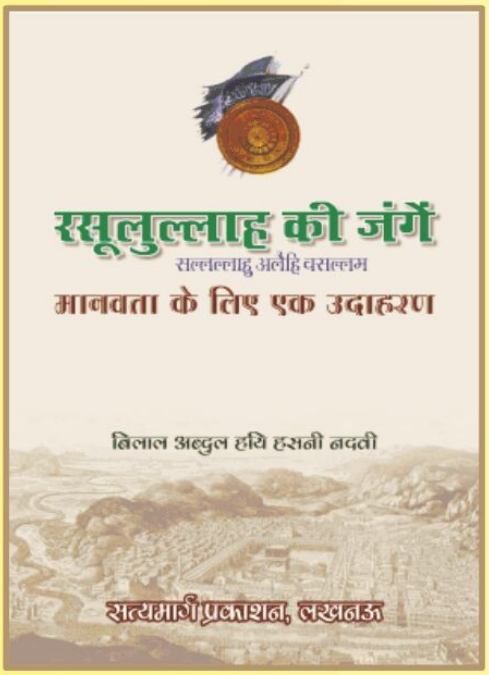

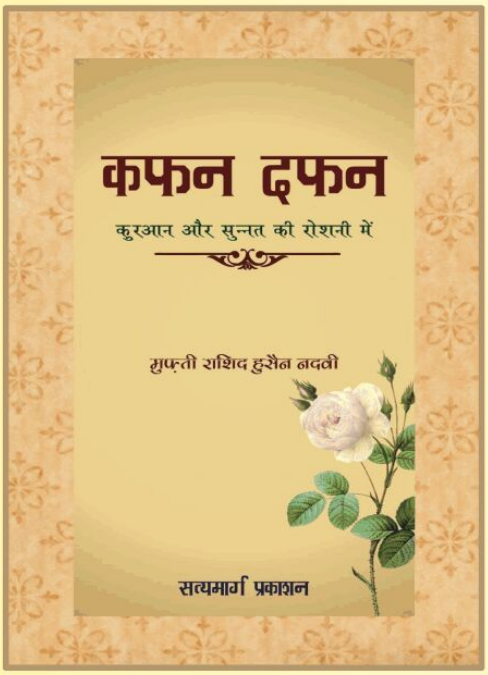

Editor: Bilal Abdul Hai Hasani Nadwi
MARKAZUL IMAM ABIL HASAN AL-NADWI
Dare Arafat, Takiya Kalan, Raebareli, U.P.
Mobile:9565271812
E-Mail: markazulimam@gmail.com
www.abulhasanalinadwi.org

Printed & Published by: Mohammad Hasan Nadwi
On Behalf of: Markazul Imam Abil Hasan Al-Nadwi
Printed at S.A. Offset Printers, Masjid ke peeche,Phatak
Abdullah Khan, Sabzi Mandi, Station Road, Raebareli, U.P.